सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

# प्रगति प्रतिवेदन

## वर्ष 2016-17

ध्येय : सभी के लिए खाद्य सुरक्षा

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान
उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान

राजस्थान सरकार

# प्रगति प्रतिवेदन
# वर्ष 2016–17

❖ खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

❖ उपभोक्ता मामले विभाग

हैल्प लाइन–1800 180 6030 (टोल फ्री)

# अनुक्रम


| क्र.सं. | विवरण | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 1 | प्रस्तावना | 1 |
| 2 | विभाग की स्थापना | 1 |
| 3 | कार्य संपादन | 2 |
| 4 | लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली | 3 |
| 4 | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 | 3 |
| 5 | नवीन डिजिटाइज्ड राशन कार्ड | 4 |
| 6 | आवश्यक वस्तुओं का आवंटन, मापदण्ड एवं मूल्य | 5 |
| 7 | विभाग के अभिनव कार्य एवं योजनाएं | 5 |
| 8 | चीनी | 7 |
| 9 | केरोसीन | 8 |
| 10 | एलपीजी | 9 |
| 11 | उचित मूल्य दुकानों का आवंटन | 10 |
| 12 | उपभोक्ता मामले विभाग | 22–25 |
| 14 | वास्तविक आय–व्यय एवं संशोधित प्रावधान | 26 |
| 15 | राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. | 27–36 |
| 16 | परिशिष्ठ 1 से 9 | 37–52 |

# प्रस्तावना

क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों के इस प्रदेश में अधिकांश भाग रेगिस्तानी और कम वर्षा वाला है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 685.48 लाख है। इस जनसंख्या में 515.00 लाख ग्रामीण और 170.48 लाख शहरी क्षेत्र की जनसंख्या सम्मिलित है। राज्य के सभी श्रेणी के परिवारों, यथा– बीपीएल, एपीएल, अन्त्योदय आदि के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन राज्य में आरम्भ से ही किया जा रहा है।

देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रारम्भ 1960 के दशक में हुई खाद्यान्नों की अत्यधिक कमी वाले शहरी क्षेत्रों में खाद्यान्नों का वितरण करने पर ध्यान केन्द्रित करके हुआ था। इसके बाद हरित क्रांति के अंतर्गत चूंकि राष्ट्रीय कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, इसलिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार 1970 और 1980 के दशकों में आदिवासी ब्लाकों और अत्यधिक गरीबी वाले क्षेत्रों के लिए किया गया। वर्ष 1992 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली विशेष लक्ष्यों के बगैर सभी उपभोक्ताओं के लिए एक सामान्य पात्रता योजना थी। सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली जून, 1992 में सम्पूर्ण देश में प्रारंभ की गयी थी। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जून, 1997 में प्रारंभ की गई थी।

# विभाग की स्थापना

राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रबंधन एवं उचित मूल्यों पर खाद्यान्नों का सफलतापूर्वक वितरण सुनिश्चित करने के लिए विभाग की स्थापना की गई । पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश में खाद्यान्न अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए सरकार की नीति का महत्वपूर्ण अंग बन गई है। इसके अंतर्गत केन्द्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण, ढुलाई और बल्क आवंटन करने की जिम्मेदारी ले रखी है। राज्य के अंदर आवंटन, राशन कार्ड जारी करने और उचित मूल्य दुकानों के कार्यकलापों का पर्यवेक्षण करने सहित प्रचलनात्मक जिम्मेदारी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की है।

राज्य में वर्ष 1964 तक खाद्य एवं सहायता विभाग एक संयुक्त विभाग के रूप में कार्यरत रहे। वर्ष 1964 से सहायता विभाग से अलग होकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग पृथक से अस्तित्व में आया। भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम,1986 लागू करने के साथ ही राज्य में भी वर्ष 1987 से विभाग द्वारा उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित कार्य भी सम्पादित किए जा रहे हैं। दिनांक 21 जून, 2001 को विभाग का नाम खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग किया गया। कालान्तर में मंत्रीमण्डल की आज्ञा 205/2013 के कम में अंकित खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से "उपभोक्ता मामले विभाग" को पृथक किये जाने के लिए राजस्थान कार्यविधि नियमों में संशोधन प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया व अनुमोदित प्रारूप के अनुसार मंत्रीमण्डल सचिवालय द्वारा कमांक एफ 27(1)केबिनेट/2013 दिनांक 26.09.2013 को अधिसूचना जारी की जा चुकी है।

# कार्य संपादन

उपरोक्त उद्धेश्यों की प्राप्ति के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्य संपादित किये जाते हैं :–

## खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

- भारत सरकार से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरण योग्य आवश्यक वस्तुओं का राज्य की माँग के अनुरूप आवंटन प्राप्त करना एवं आवंटित वस्तुओं को उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से निर्धारित दरों पर उपभोक्ताओं को वितरण करना।

- समर्थन मूल्य नीति के अन्तर्गत खाद्यान्नों, यथा– गेहूँ, जौ, मक्का, बाजरा व धान (पैडी) की खुले बाजार में कीमत निर्धारित मूल्यों से कम होने पर किसानों के हित में भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम एवं नेफेड के माध्यम से क्रय करने में सहयोग करना।

- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं इसके अन्तर्गत प्रसारित विभिन्न आदेशों के प्रवर्तन व कालाबाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के आदेश के अन्तर्गत जमाखोरी व कालाबाजारी के विरूद्ध कार्यवाही करना तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अन्तर्गत पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना।

## उपभोक्ता मामले विभाग

- उपभोक्ता हितों के संरक्षण के लिए गठित राज्य आयोग एवं जिला मंचों की प्रशासनिक व्यवस्था संबंधी कार्य करना
- उपभोक्ता आन्दोलन को गति देने संबंधी कार्य करना
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का क्रियान्वयन
- राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन का संचालन
- राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष का संचालन
- उपभोक्ता क्लबों का संचालन
- राष्ट्रीय एवं विश्व उपभोक्ता दिवस का आयोजन
- उपभोक्ता साहित्य का मुद्रण एवं प्रबंधन

# लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि को नियंत्रित करने और उपभोक्ताओं के लिए खाद्यान्नों की पहुँच सुनिश्चित करने में पर्याप्त रूप से योगदान दिया जा रहा है। देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बाद वर्ष 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की गई थी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रमुख रूप से निम्न उद्धेश्य हैं :–

- आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों को स्थिर रखना।
- कुछ मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गो को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य में गेहूँ, चावल, चीनी एवं केरोसीन तेल उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरित किये जाते हैं। उक्त वस्तुयें निर्धारित मात्रा में निश्चित मूल्य लेकर उपभोक्ताओं को राशन कार्ड के आधार पर दी जाती हैं। भारत सरकार से खाद्यान्न आवंटित किए जाने के आदेशों के पश्चात राज्य के जिलों हेतु खाद्यान्न नियत अवधि में उठाव व्यवस्था के साथ उप आवंटन जारी किया जाता है। जिलों में जिला कलक्टर्स के माध्यम से तहसील/पंचायत समिति अनुसार किये गये आवंटन के आधार पर आवंटित सामग्री संबंधित उचित मूल्य दुकान तक पहुंचाई जाती हैं।

आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए राज्य में कुल 25155 उचित मूल्य की दुकानें स्थापित हैं, जिनमें से 5636 शहरी क्षेत्र में एवं 19519 दुकानें ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत हैं। जिलेवार उचित मूल्य दुकानों की सूचना **परिशिष्ट– "1"** पर हैं।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं को खाद्यान्नों की पहुँच सुनिश्चित करने हेतु राज्य में राशन टिकिट व्यवस्था लागू की गई है ताकि खाद्य सामग्री की लाभार्थी तक पहुँच सुनिश्चित हो सके। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न खाद्यान्न योजनाओं में आवंटन–उठाव का विवरण **परिशिष्ट–"2"** पर है।

# राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013

राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 के तहत राज्य में दिनांक 02 अक्टूबर,2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का शुभारम्भ किया गया। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत शहरी क्षेत्र में 53 प्रतिशत जनसंख्या तथा ग्रामीण क्षेत्र में 69.09 प्रतिशत जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा प्रदान करते हुए राज्य के समस्त अन्त्योदय अन्न योजना के पात्र परिवारों एवं अन्य पात्र परिवारों हेतु प्रतिमाह 2.32लाख मै.टन गेहूं का आवंटन किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत चयनित पात्र परिवारों/लाभार्थियों को "खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में" जारी अधिसूचना दिनांक 25.07.2016 **परिशिष्ट–"3"** पर है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत भारत सरकार द्वारा प्राप्त गेहूं का चयनित 443 लाख पात्र लाभार्थियों को (अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों को प्रतिमाह प्रति परिवार 35किलोग्राम एवं अन्य पात्र परिवारों को प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 5किलोग्राम गेहूं 2.00 रूपये प्रति किलोग्राम) नियमानुसार बायोमेट्रिक सत्यापन के पश्चात पॉस मशीनों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र लाभार्थियों का जिलेवार विवरण (स्थिति माह दिसम्बर,2016) **परिशिष्ट–"4"** पर है।

वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा माह सितम्बर,2016 से निरन्तर ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से गेहूं का जिलेवार आवंटन किया जा रहा है। ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से आवंटन करने के पश्चात खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता आई है। विभाग द्वारा ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से उचित मूल्य दुकानवार गेहूं के आवंटन का खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की वैबसाइट **food.raj.nic.in** पर भी पूर्ण रूप से प्रदर्शित किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा दिनांक 24.09.2013 को जारी अधिसूचना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 की धारा–15 की उपधारा (1) का प्रयोग करते हुए जिला कलक्टर को अपनी–अपनी अधिकारिता के जिले के लिए जिला शिकायत निवारण अधिकारी के तहत पदाभिहित किया हुआ है। साथ ही आमजन द्वारा प्राप्त शिकायतों के निवारण हेतु विभाग द्वारा दिनांक 07दिसम्बर,2015 को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत त्रि–स्तरीय सतर्कता समिति का भी गठन किया गया है इसके अतिरिक्त राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर भी प्राप्त शिकायतों का निवारण किया जा रहा है।

इसी क्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 की धारा–18 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान खाद्य आयोग का भी दिनांक 21मई,2015 को गठन किया गया है।

वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत वंचित पात्र व्यक्ति अपना नाम खाद्य सुरक्षा की सूचियों में शामिल कराने एवं खाद्य सुरक्षा की सूची में सम्मिलित अपात्र व्यक्ति को निष्कासित करने के लिए अपीलीय प्रक्रिया लागू है, जिसके तहत पात्र व्यक्ति सादा कागज पर प्रार्थना पत्र लिख उसके साथ यथासंभव दस्तावेज संलग्न कर संबंधित उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

## नवीन डिजिटाइज्ड राशन कार्डस्

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य सरकार की प्रतिबद्धता एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण कार्य के अन्तर्गत राज्य में डिजिटाईज्ड राशनकार्डस् बनाने का कार्य किया जा रहा हैं। संपूर्ण राज्य में डिजिटाईज्ड राशनकार्डस् तैयार किये जाकर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराये जाने हेतु विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक एफ 97(6)खा.वि./सा.वि.प्र./2010 पार्ट–2 दिनांक 01.06.2012 से सभी जिला कलक्टर्स/जिला रसद अधिकारियों को दिशा–निर्देश जारी किये गये है।

1 अप्रैल, 2015 से नवीन/डुप्लीकेट राशनकार्डस् बनाने एवं राशनकार्ड्स में सदस्यों के नाम जोड़ने/घटाने एवं त्रुटि सुधार का कार्य संबंधित प्राधिकृत अधिकारियों एवं ई–मित्र कियोस्क के माध्यम से किया जा रहा है। नवीन डिजिटाईज्ड राशनकार्डस् बनाने के कार्य को त्वरित गति से निपटाने के लिए समस्त जिला मुख्यालयों पर स्थित नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पालिका क्षेत्रों में प्रवर्तन अधिकारियों को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिकृत किये जाने की अधिसूचना दिनांक 22.06.2015 तथा प्रवर्तन निरीक्षको को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिकृत किये जाने की अधिसूचना दिनांक 27.07.2015 एवं 11.12.2015 को जारी की जाकर निर्देशित किया जा चुका है। राशनकार्डस् बनाने का कार्य एक सतत् प्रकिया है।

## आवश्यक वस्तुओं का आवंटन, मापदण्ड एवं मूल्य

राज्य में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत विभिन्न श्रेणी के लाभार्थियों को निम्नानुसार खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री उपलब्ध करायी जा रही है :–

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत "अन्त्योदय परिवारों" को प्रतिमाह 35 किलोग्राम गेहूं प्रति परिवार तथा "अन्य पात्र लाभार्थियों" को 05 किलोग्राम गेहूं प्रति यूनिट 2.00 रूपये प्रतिकिग्रा. की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है।

2. राज्य के अन्त्योदय श्रेणी में चयनित बांरा जिले के सहरिया जनजाति एवं उदयपुर जिले के कथौड़ी परिवारों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत 35 किग्रा. गेहूं प्रतिमाह निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है।

3. बीपीएल परिवारों (अन्त्योदय अन्न योजना में चयनित परिवारों सहित) को चीनी 500 ग्राम प्रति इकाई प्रतिमाह, रूपये 25.00(माह नवम्बर,2016से) प्रति किग्रा. की दर से वितरित की जा रही है।

4. बिना गैस कनेक्शनधारी सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को केरोसीन 2.5 लीटर प्रतिमाह प्रति राशनकार्ड 17.50 रूपये प्रति लीटर की दर से उपलब्ध कराया जाता है।

## विभाग के अभिनव कार्य एवं योजनाएँ

राज्य में राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011 दिनांक 14.11.2011 से प्रभावी हो गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत विभाग से संबंधित राशन कार्ड जारी करने का बिन्दु है। इस अधिनियम, 2011 के सन्दर्भ में प्राप्त आवेदन पत्रों पर निर्धारित समयावधि में राशन कार्ड जारी करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु विभागीय आदेश क्रमांक एफ. 97(1) खा.वि./साविप्र/2010–11 दिनांक 11.11.2011 द्वारा सभी जिला

कलक्टरों/जिला रसद अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं तथा राज्य में राशन कार्ड जारी करने के लिए निम्नांकित अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है :—

| | | |
|---|---|---|
| 1 | जिला मुख्यालय नगरीय क्षेत्र में | जिला रसद अधिकारी/राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर प्राधिकृत अधिकारी |
| 2 | शेष नगरपालिका/नगर परिषद क्षेत्र में | नगरपालिका बोर्ड अधिशाषी अधिकारी/आयुक्त |
| 3 | ग्रामीण क्षेत्र के लिए | विकास अधिकारी, संबंधित पंचायत समिति |
| 4 | राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिकृत अन्य कोई अधिकारी | |

समस्त प्राधिकृत अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि प्राप्त आवेदन पत्रों पर नियमानुसार कार्यवाही कर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत 7 दिवस की अवधि में राशन कार्ड बनाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारंटी अधिनियम के क्षेत्राधिकार में दी जाने वाली सेवाऐं, अवधि एवं उनके लिए निर्धारित किए जाने वाले पदाभिहित अधिकारी/सहायक पदाभिहित अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी का विवरण **परिशिष्ट—"5"** पर है।

## सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु राज्य सरकार की प्रतिबद्वता एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण के कार्य के अन्तर्गत राज्य मे उचित मूल्य दुकानों, गोदामों एवं थोक विक्रेताओं का डेटाबेस कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है। कम्प्यूटरीकरण के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं के आवंटन—उठाव, आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था के साथ ही राज्य एवं जिला मुख्यालयों को भी कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु कम्प्यूटरीकरण योजना के अन्तर्गत राज्य में डिजिटाईज्ड राशन कार्ड बनाने का कार्य किया जा रहा है । 01 अप्रेल 2015 से नवीन / डुप्लीकेट राशनकार्ड बनाने एवं राशनकार्ड में सदस्यों के नाम जोड़ने, घटाने एवं त्रुटि सुधार का कार्य ई—मित्र के माध्यम से किया जा रहा है । नवीन डिजिटाईज्ड राशन कार्ड बनाने के कार्य को त्वरित गति से निपटाने के लिये समस्त जिला मुख्यालयों पर स्थित नगर परिषद / नगर पालिका क्षेत्रों में प्रवर्तन अधिकारियों को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिकृत किये जाने की अधिसूचना दिनांक 22.06.2015 तथा प्रवर्तन निरीक्षकों को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिकृत किये जाने की अधिसूचना दिनांक 27.07.2015 को जारी की गई।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का end to end computerization के अन्तर्गत राज्य की उचित मूल्य की दुकानों पर PoS मशीने स्थापित कर उपभोक्ताओं को राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है । पॉस मशीनों की खरीद एवं उचित मूल्य दुकानों पर

स्थापित करने की कार्यवाही राजकॉम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड (RISL) द्वारा किया किया गया। राज्य की 24734 उचित मूल्य की दुकानों पर PoS मशीने स्थापित कर उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरान्त राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है ।

## समर्थन मूल्य के अन्तर्गत खरीद

किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो व अनुचित व्यापारिक प्रवृतियों से किसानों की सुरक्षा की जावे, इसी दृष्टिकोण के मद्देनजर भारत सरकार द्वारा समय–समय पर कृषि जिन्सों के समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। विभाग द्वारा भारतीय खाद्य निगम के लिए राज्य एजेन्सियों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर निम्न जिन्सों की खरीद (प्रोक्योरमेंट) की जाती है –

**रबी फसल– गेहूँ व जौ**

**खरीफ फसल में मोटे अनाज, यथा, बाजरा, ज्वार व मक्का**

(अ) विपणन वर्ष 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 में भारत सरकार द्वारा रबी एवं खरीफ के लिए निम्न प्रकार समर्थन मूल्य घोषित किये गये हैं:–

(समर्थन मूल्य रूपये प्रति क्विंटल में)

| | | वर्ष 2014–15 | वर्ष 2015–16 | वर्ष 2016–17 |
|---|---|---|---|---|
| रबी | गेहूँ | 1400+150 बोनस (राज्य सरकार) | 1450 | 1525 |
| खरीफ (मोटे अनाज) | बाजरा | 1250 | 1275 | 1330 |
| | मक्का | 1310 | 1325 | 1365 |

भारतीय खाद्य निगम, राजफैड एवं तिलम संघ द्वारा राज्य में रबी विपणन वर्ष 2014–15 में 21.36 लाख मै.टन गेहूं, वर्ष 2015–16 में 13.00 लाख मै.टन गेहूँ एवं वर्ष 2016–17 में कुल 7.61 लाख मै.टन गेहूँ की समर्थन मूल्य पर खरीद की गई है एवं राज्य के अलवर जिले में विकेन्द्रीकृत योजना के तहत वर्ष 2015–16 में 63,866 मै.टन गेहूं एवं 2016–17 में 150 मै.टन गेहूं की खरीद की गई।

## चीनी

राज्य के बीपीएल राशन कार्ड धारियों (अन्त्योदय परिवारों सहित) को प्रतिमाह 500 ग्राम चीनी प्रति यूनिट 25.00 रूपये प्रति किलो (माह नवम्बर,2016 से) की दर से उपलब्ध कराई जा रही है। भारत सरकार द्वारा जारी नई मार्गदर्शिका के अनुसार राज्य सरकार द्वारा "राजस्थान राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लि. के माध्यम से चीनी की खरीद की जाकर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जा रही है। वर्षवार चीनी के आवंटन एवं उठाव की स्थिति **परिशिष्ट–"6"** पर है।

# केरोसीन

राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत भारत सरकार के पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली से राज्य को त्रैमासिक केरोसीन का आवंटन प्राप्त होता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्राप्त नीला केरोसीन केवल खाना पकाने एवं रोशनी के उद्धेश्य से वितरित कराया जाता है। प्राप्त आवंटन का एक निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत जिलों को उप आवंटन किया जाता है। वर्तमान में राज्य में गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं को केरोसीन नहीं दिया जा रहा है। बिना गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं को 2.5 लीटर प्रतिमाह प्रति राशनकार्ड केरोसीन का वितरण पॉस मशीनों के माध्यम से किया जा रहा है। केरोसीन के आवंटन एवं उठाव की सूचना **परिशिष्ट–"7"** पर है।

केरोसीन का डायवर्जन रोकने के लिए केरोसीन के डीलरों को भूमिगत स्टोरेज टैंक बनाने के लिए आदेश जारी किये हुये है तथा जिला कलक्टर्स को भी यह निर्देशित किया हुआ है कि रूट चार्ट बनाकर जो भी टेंकर तेल कम्पनी से तेल लेकर रवाना होता है, वह इसकी सूचना जिला कलक्टर को दें और कलक्टर रूट चार्ट के अनुसार संबंधित तहसील/ एस.डी.ओ. को निर्देश देवें कि टेंकर का सत्यापन किया जावे और एस.डी.ओ. कम्प्यूटर से ट्रॉंसमिशन करेंगे कि कौन–सा टैंकर कब और कहाँ के लिए रवाना हो रहा है?

वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत केरोसीन का राज्य में समान दर से वितरण कराने हेतु विभागीय अधिसूचना कमांकःएफ 45(75)खा.ले./नीति/केरोसीन/ 2012–13 दिनांक 04.06.2015 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत नीले केरोसीन की अधिकतम विकय दर 17.50 रूपये प्रति लीटर निर्धारित की गई है।

## केरोसीन अनुदान राशि बाबत पायलट प्रोजेक्ट योजना

भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनुदानित केरोसीन की अनुदान राशि का लाभ उपभोक्ता के बैंक खाते में जमा कराये जाने, कालाबाजारी एवं डायवर्जन को रोके जाने के उद्धेश्य से बजट घोषणा 2011–12 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अनुदानित केरोसीन की अनुदान राशि का उपभोक्ताओं के बैंक खाते में सीधे ही हस्तानान्तरण करने के बारे में घोषणा की गई है। इस हेतु राज्य के अलवर जिले की कोटकासिम तहसील को पायलट प्रोजेक्ट में चयनित किया गया तथा माह दिसम्बर, 2011 से उक्त योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आरम्भ किया गया। भारत सरकार द्वारा इस योजना की अवधि को समय–समय पर बढाया गया।

इस योजना को राज्य के अजमेर, उदयपुर एवं अलवर जिले में एक–एक ग्रामीण एवं शहरी ब्लॉकों का निम्नानुसार चयन कर दिनांक 01 जुलाई, 2013 से पॉयलेट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है :–

| क.सं. | नाम जिला | शहरी क्षेत्र | ग्रामीण क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| 1 | अलवर | नगरपालिका, खेरली | कोटकासिम तहसील |
| 2 | अजमेर | नगरपालिका, पुष्कर | अराई पंचायत समिति |
| 3 | उदयपुर | नगरपालिका, कानोड | लसाडिया पंचायत समिति |

इनमें से उदयपुर जिले में नवीन राशनकार्ड नहीं बन पाने के कारण पॉयलेट योजना शुरू नहीं की जा सकी थी, जिसे द्वितीय चरण के साथ ही आरम्भ किया जाना था।

इसी क्रम में भारत सरकार द्वारा योजना के प्रारूप में कुछ नये सुधार करते हुए DTCK (Direct transfer of cash subsidy on kerosene) की योजना का नाम परिवर्तित करते हुए DBTK (Direct Benefit transfer in kerosene) योजना संयुक्त सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक पी–23014/2/2015–एल.पी.जी. दिनांक 04.01.2016 के आदेश द्वारा राजस्थान के तीन जिलों झुन्झुनू, कोटा एवं पाली का चयन करते हुए दिनांक 01.04.2016 से लागू किये जाने के निर्देश जारी किये गये थे। इस संबंध में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को पत्र द्वारा यह सूचित किया गया था कि वांछित डाटा (बैंक खाता संख्या, आधार संख्या तथा गैस कनेक्शन संख्या) उपलब्ध कराये जाने के एक माह के अन्दर चयनित जिलों में यह योजना आरम्भ कर दी जायेगी। राज्य के स्तर पर सीडिंग कार्य किया जा रहा है।

## एल.पी.जी.

घरेलू गैस रिफिल का राज्य में पंजीकृत उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार नियमित रूप से उपलब्धता के संबंध में राज्य सरकार पूर्ण रूप से सतर्क है। घरेलू गैस का व्यवसायिक ईंधन के रूप में प्रयोग को रोकने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रभावी कदम उठाये गये हैं तथा इस हेतु जिला प्रशासन एवं तेल कम्पनियों को निर्देशित किया गया है। सभी जिलों में मिठाई की दुकानों, रेस्टोरेंट, वाहनों आदि में घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग करने पर द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के अंतर्गत कार्यवाही कर अनेको प्रकरण बनाये गये हैं। घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किलो एवं वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर 19 किलो में उपलब्ध है। राज्य में कुकिंग गैस (एलपीजी) का वितरण आई.ओ.सी., एच.पी.सी. एवं बी.पी.सी. तेल कम्पनियां कर रही हैं।

राज्य स्तरीय समन्वयक एवं तेल विपणन कम्पनियों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे उपभोक्ताओं को रसोई गैस की समुचित आपूर्ति करें तथा आवश्यकतानुसार नये गैस कनेक्शन जारी करें। सिलेण्डर पर टोल–फ्री नम्बर अंकित करने के निर्देश प्रदान किये गये है। प्रदेश में गैस एजेन्सियों द्वारा नये गैस कनेक्शन जारी करने पर निर्धारित प्रतिभूति राशि के अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु जैसे हॉटप्लेट, प्रेशर कूकर, उपभोक्ताओं को चाय, चावल, चीनी, दाल, माचिस और साबुन इत्यादि लेने को मजबूर करने की शिकायत मिलने पर गैस एजेन्सी के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है तथा जुर्मानें से लेकर लाईसेन्स निलम्बित/निरस्त करने तक की कार्यवाही की जाती है।

## पहल योजना (MDBTL)

"पहल" योजना के अन्तर्गत पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा घरेलू गैस उपभोक्ताओं को बैंक खाते के मार्फत सीधे ही नकद भुगतान किये जाने की संशोधित DBTL योजना राज्य में 1 जनवरी, 2015 से प्रारम्भ की गई है।

# उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु दिशा–निर्देश

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटराईजेशन करने के संबंध में पारित आदेश, भारत सरकार के निर्देश एवं उचित मूल्य दुकानों में महिला समूह व सहकारी समितियों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खण्ड 3(1) के तहत उचित मूल्य दुकानों के प्राधिकार पत्र जारी किए जाने हेतु पूर्व में जारी समस्त आदेश/परिपत्र एवं दिशा–निर्देशों को अतिक्रमित करते हुए नयी उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु दिनांक 17.03.2016 को नवीन दिशा–निर्देश जारी कर दिये गये हैं, जिसके अनुसार उचित मूल्य दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया निम्न प्रकार हैः–

## आवंटन प्रक्रिया

1. **उचित मूल्य दुकान आवंटन के लिये अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताएँ**

(i) शहरी क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकान हेतु आवेदक के मामले में आवेदक उसी वॉर्ड का निवासी होना चाहिए, जिस वॉर्ड के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करनी है अर्थात् उस उचित मूल्य दुकान की अधिकारिता क्षेत्र में स्थित वॉर्डों में से किसी एक वॉर्ड का निवासी होना चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान के मामलों में आवेदक उसी पंचायत के किसी भी ग्राम या वॉर्ड का निवासी होना आवश्यक है, जिस पंचायत में उचित मूल्य दुकान स्थित है। एक से अधिक योग्य आवेदन पत्रों के प्राप्त होने की स्थिति में वरीयता उसी वार्ड/गांव के निवासी को दी जायेगी, जिसमें उचित मूल्य की दुकान स्थित है।

उचित मूल्य दुकान हेतु सभी श्रेणी के आवेदकों की आयु 21 से 45 वर्ष तक होनी चाहिए अर्थात उचित मूल्य दुकान के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि को आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिये।

(ii) आवेदक की "शैक्षणिक योग्यता सामान्य रूप से स्नातक एवं कम्प्यूटर में न्यूनतम जानकारी Rajasthan Knowledge Corporation Limited (RKCL) या अन्य समकक्ष सरकारी अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान का तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए"। यदि उचित मूल्य के दुकानों के आवेदकों में कोई भी आवेदक स्नातक स्तर की शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता है, तो ऐसी स्थिति में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदकों के प्रार्थना पत्रों को भी आवंटन हेतु स्वीकार किया जा सकेगा। यदि आवेदक कम्प्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हो तो आवेदन के साथ आवेदक से यह शपथ–पत्र भी लिया जावेगा, कि वह चयनित होने के 06 माह की अवधि में प्रशिक्षण प्राप्त

कर लेगा व ऐसे चयनित व्यक्तियों को प्रशिक्षण के बाद प्राधिकार पत्र दिया जावेगा।

(iii) आवेदक को अन्नपूर्णा भण्डार हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने होगें। यदि आवेदक पहले से ही अन्नपूर्णा भण्डार के मापदण्डों को पूर्ण करता है, तो उसकी पुष्टि में दुकान का नक्शा–स्वामित्व–किरायानामा आदि से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। जो आवेदक आवेदन के समय अन्नपूर्णा भण्डार के मापदण्डों को पूर्ण नहीं करते, उन्हें छः माह में मापदण्ड पूर्ण किये जाने का घोषणा–पत्र प्रस्तुत करना होगा। विशेष परिस्थितियों में ही मापदण्ड पूर्णता अवधि राज्य सरकार/जिला कलक्टर द्वारा अधिकतम छः माह बढ़ायी जा सकेगी। यदि घोषणा–पत्र के अनुसार प्राधिकृत होने पर मापदण्ड पूर्ण नहीं किये जाते है, तो प्राधिकार–पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

(iv) उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन करने वाले पुरूष/महिला के दिनांक 01.01.2015 के बाद पैदा हुई संतान सहित दो से अधिक संतान नही होनी चाहिये। निर्धारित तिथि पश्चात दो से अधिक संतान होने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति आवेदन का पात्र नहीं होगा। उचित मूल्य दुकान आवंटन होने के पश्चात भी यदि किसी उचित मूल्य दुकानदार के तीसरी संतान होती है तो ऐसे उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निरस्तनीय होगा, परन्तु किसी आवेदक के दिनांक 31.12.2014 को एक ही संतान है तथा पश्चातवर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती है, तो संतानों की गणना करते समय इस प्रकार एक प्रसव से पैदा हुई संतानों को एक इकाई ही समझा जाए।

## 2. आवेदन पत्र आमंत्रित करना:–

(क) जिला रसद अधिकारी उचित मूल्य दुकान आवंटन हेतु रिक्तियों का निर्धारण कर; जिला कलक्टर से अनुमोदन प्राप्त कर, इन रिक्तियों का विवरण समाचार पत्रों एवं अन्य प्रचार माध्यमों में जिला जन सम्पर्क अधिकारी के मार्फत प्रेस नोट जारी कर विज्ञप्ति जारी करायेंगे।

(ख) आवेदन पत्र केवल मात्र जिला रसद कार्यालय से जारी किये जायेंगे अन्य किसी स्थान यथा टाईपिस्ट, नोटेरी/बुक स्टोर से प्राप्त किये गये आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेंगे। एक आवेदन पत्र का मूल्य 100/– निर्धारित किया जाता है। जिला रसद कार्यालय से आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क का भारतीय पोस्टल आर्डर (IPO) जमा कराया जाकर प्राप्त किये जा सकेगें। प्रत्येक आवेदन पत्र का कमांक अंकित करते हुए आवेदक को उपलब्ध कराये गये आवेदन पत्रों का रजिस्टर संधारित किया जायेगा।

(ग) आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में होगा, जिस पर आवेदनकर्त्ता का छायाचित्र लगा होगा।

(घ) समस्त आवेदन पत्रों को सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर अभिशंषा करने का अधिकार आवंटन सलाहकार समिति को ही होगा। आवंटन सलाहकार समिति की अभिशंषा के अनुसार चयनित आवेदनकर्ता के आवेदन पत्र/उचित मूल्य दुकान तथा गोदाम के ब्लूप्रिन्ट के नक्शों के अनुसार मौके की जांच रिपोर्ट की जाकर आवेदन पत्रों के साथ संलग्न दस्तावेजों की सत्यता एवं उचित मूल्य दुकान के स्थान एवं गोदाम की उपयुक्तता के संबंध में संबन्धित प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा स्पष्ट टिप्पणी की जायेगी।

(ड) आवेदक द्वारा निम्न बिन्दुओं को अंकित करते हुये एक शपथ पत्र दिया जावेगाः—

(1) आवेदक पूर्व में ई.सी. एक्ट के तहत दण्ड़ित नहीं हुआ है।

(2) आवेदक द्वारा दुकान का संचालन स्वयं किया जावेगा।

(3) आवेदक के परिवार में किसी सदस्य; यथा, माता–पिता, पुत्र एवं पुत्री के नाम से पूर्व में कोई उचित मूल्य दुकान नहीं हैं।

(4) आवेदक को विधिक रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

(5) आवेदक स्वयं निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं है।

(6) आवेदक बालिग एवं स्वस्थ चित हैं, चाल–चलन अच्छा है तथा कभी दिवालिया घोषित नहीं हुआ है।

(7) आवेदक द्वारा दिनांक 01.01.2015 के बाद दो से अधिक संतान नही होने का स्पष्ट कथन किया जायेगा।

(च) प्रस्तावित दुकान का नक्शा प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक द्वारा संवीक्षा के समय प्रमाणित किया जावेगा।

(छ) आवेदक द्वारा संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी न्यूनतम 1,00,000/— रूपये का हैसियत का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावेगा। महिला स्वयं सहायता समूह के लिए कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता की अभिशंषा सहित समूह की वित्तीय हैसियत न्यूनतम 25,000 रूपये होना आवश्यक होगा।

(झ) आवेदक द्वारा दी गयी सूचनायें गलत पाये जाने पर आवंटन रद्द करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।

## 3. आवंटन सलाहकार समिति

प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर अभिशंषा हेतु निम्न सदस्यों की तहसील स्तरीय समिति गठित होगीः—

(i) **नगरीय क्षेत्रों हेतुः—**

| | | | |
|---|---|---|---|
| (क) | जिला रसद अधिकारी | | अध्यक्ष |
| (ख) | नगर निगम/परिषद्/पालिका के अध्यक्ष/प्रशासक या उनके द्वारा मनोनीत बोर्ड का निर्वाचित सदस्य | | सदस्य |
| (ग) | कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता विभाग अथवा नामांकित अधिकारी | | विशेष आमंत्रित सदस्य |
| (घ) | सहकारिता विभाग का जिला उप—पंजीयक अथवा सहायक पंजीयक | | विशेष आमंत्रित सदस्य |
| (ण) | राज्य सरकार द्वारा मनोनीत उसी क्षेत्र के | | |
| | (i) सामाजिक कार्यकर्ता | एक | सदस्य |
| | (ii) उपभोक्ता | एक | सदस्य |
| | (iii) महिला उपभोक्ता | एक | सदस्य |

(ii) **ग्रामीण क्षेत्रों हेतुः—**

| | | | |
|---|---|---|---|
| (क) | जिला रसद अधिकारी | | अध्यक्ष |
| (ख) | संबंधित ग्राम पंचायत का सरपंच | | सदस्य |
| (ग) | कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता विभाग अथवा नामांकित अधिकारी | | विशेष आमंत्रित सदस्य |
| (घ) | सहकारिता विभाग का जिला उप—पंजीयक अथवा सहायक पंजीयक | | विशेष आमंत्रित सदस्य |
| (ण) | राज्य सरकार द्वारा मनोनीत उसी क्षेत्र के | | |
| | (i) सामाजिक कार्यकर्ता | एक | सदस्य |
| | (ii) उपभोक्ता | एक | सदस्य |
| | (iii) महिला उपभोक्ता | एक | सदस्य |

आवंटन सलाहकार समिति के मनोनीत सदस्यों द्वारा अनियमितता बरतने पर इन्हें हटाये जाने का अधिकार राज्य सरकार को होगा।

आवंटन सलाहकार समिति के सभी सदस्यों से इस बाबत शपथ—पत्र प्राप्त किया जाये कि उचित मूल्य दुकानों के आवेदकों के साक्षात्कार की सूची में मेरे परिवार का कोई

सदस्य सम्मिलित नहीं है। यदि कोई परिवार का सदस्य साक्षात्कार के लिए पात्र है, तो उक्त चयनकर्ता साक्षात्कार समिति की बैठक में भाग नहीं लेगा।

विशेष आमंत्रित सदस्यों को आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में तभी आमंत्रित किया जावे, जबकि प्राथमिकता क्रम 4(क) (i) एवं (ii) के आवेदन प्राप्त हुए हों तथा साक्षात्कार के लिए पात्र हो।

## 4. चयन प्रकिया एवं प्राथमिकताः—

आवंटन सलाहकार समिति प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर अपनी अभिशंषा जिला कलक्टर को प्रस्तुत करेगी। साक्षात्कार द्वारा आवेदकों के प्रार्थना पत्रों पर विचार के समय आवेदक के चयन के प्राथमिकता क्रम में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा चयन प्रक्रिया निम्नानुसार दो चरणों में पूर्ण की जावेगीः—

(क) प्रथम वरीयता (संस्थागत) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम के आधार पर चयन किया जावेगाः—

- (i) ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्पस् (वृहतर क्षेत्रीय बहुउद्देशीय सहकारी समिति)/ दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति, जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हैं।
- (ii) "महिला स्वयं सहायता समूह; जो, राज्य सरकार के महिला अधिकारिता विभाग से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त है तथा न्यूनतम 3 वर्ष कार्य का अनुभव हो।
- (iii) ग्राम पंचायत/निगमित निकाय

नोटः— आवेदक/समितियों/समूह/निकाय में सचिव/प्रबंधक का कम्प्यूटर दक्ष एवं शैक्षणिक योग्यताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस बाबत प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

विशेषः— यदि विज्ञापन किये जाने के पश्चात कम संख्या (i), (ii) व (iii) के अन्तर्गत एक ही आवेदन प्राप्त होता है, तो उसको प्राधिकार पत्र जारी किया जावेगा। इस श्रेणी के दो या दो से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर ही आवंटन हेतु निर्धारित प्रकिया अपनायी जावेगी।

(ख) द्वितीय वरीयता व्यक्तिगत (प्रथम वरीयता में आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर)

1. बेरोजगार
   - (i) निःशक्तजन
   - (ii) महिलायें
     - (क) शहीद की विधवा, (वीरांगना)
     - (ख) विधवा
     - (ग) परित्यक्ता
2. भूतपूर्व सैनिक
3. अन्य पात्र बेरोजगार

(ग) आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों के द्वारा किसी पात्र व्यक्ति/संस्था का चयन बहुमत के आधार पर किया जायेगा जिसमें जिला कलक्टर का निर्णय अन्तिम होगा। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में जिला कलक्टर द्वारा राज्य सरकार को पत्रावली अग्रेषित की जावेगी। ऐसे प्रकरणों में राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

(घ) किसी उचित मूल्य दुकान के लिए एक ही आवेदक द्वारा आवेदन किया गया है और वह अहर्ताऐं पूर्ण करता है, तो उसका चयन किया जावेगा।

(ङ) आवंटन सलाहकार समिति की बैठक हेतु जिला रसद अधिकारी सहित तीन का कोरम पूर्ण किया जाना आवश्यक है।

**5. अन्य प्रावधान**

(i) जनजाति उपयोजना के अनुसूचित क्षेत्रों की उचित मूल्य दुकानों में 45 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित जनजातियों एवं 05 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के स्थानीय सदस्यों के अभ्यार्थियों से भरी जावेगी। इन क्षेत्रों में शेष 50 प्रतिशत रिक्तियां अनारक्षित वर्ग से भरी जावेगी।

(ii) बांरा जिले की किशनगंज एवं शाहबाद तहसील क्षेत्रों की उचित मूल्य दुकानों में से 45 प्रतिशत दुकानें स्थानीय सहरिया आदिम जाति के आवेदकों को एवं 05 प्रतिशत स्थानीय अनुसूचित जाति के आवेदकों को आवटित की जावेगी।

(iii) वर्तमान में कार्यरत सभी प्राधिकृत उचित मूल्य दुकानदार एक वर्ष की अवधि में कम्पयूटर का प्रशिक्षण आवश्यक रूप से प्राप्त करेंगे और प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। प्रशिक्षण अवधि (विशेष परिस्थितियों में ही) एक वर्ष के लिए कलक्टर की अनुशंषा पर राज्य सरकार के स्तर पर बढाई जा सकेगी।

(iv) द्वितीय वरीयता के अन्तर्गत चयनित उचित मूल्य दुकानदार की कार्य अवधि अधिकतम 60 वर्ष की आयु तक होगी।

(v) प्रत्येक आवेदक अथवा पदाधिकारी (महिला स्वयं सहायता समूह/ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्पस्/दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के मामले में) को अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि उसके घर में कार्यशील शौचालय है। उक्त प्रावधान उचित मूल्य दुकान आवंटन के लिए अनिवार्य अर्हता होगी।

**6. प्राधिकार पत्र जारी करना:–**

(i) उचित मूल्य दुकान आवंटन सलाहकार समिति की अनुशंषा का जिला कलक्टर द्वारा अनुमोदन होने के 07 दिवस की अवधि में सभी संबंधित चयनित आवेदकों को जिला रसद अधिकारी द्वारा उनके उचित मूल्य दुकानदार चयनित होने की

सूचना दी जायेगी। संबंधित उचित मूल्य दुकानदार द्वारा निम्न अवधि में निर्धारित आवश्यक औपचारिकताओं का संपादन किया जायेगा:–

| क सं | कार्य का विवरण | निर्धारित अवधि |
|---|---|---|
| 1 | प्रतिभूति राशि जमा कराना | चयन आदेश जारी होने की दिनांक से अधिकतम 15 दिवस |
| 2 | उचित मूल्य दुकानदार द्वारा प्राधिकार पत्र प्राप्त करना | प्रतिभूति राशि जमा कराने की तारीख से अधिकतम 15 दिवस |
| 3 | उचित मूल्य दुकानदार द्वारा वितरण कार्य प्रारंभ करना | प्राधिकार प्राप्त करने की तिथि से अधिकतम एक माह |

(ii) उक्त अवधि समाप्त होने के बाद अधिकतम एक माह का रियायत अवधि काल (Grace period) जिला कलक्टर द्वारा बढाया जा सकेगा। रियायत काल की समाप्ति के पश्चात ऐसे प्रकरणों को राज्य सरकार के निर्णयार्थ प्रेषित किये जायेगे।

(iii) चयनित अभ्यर्थियों को जिला कलक्टर द्वारा फोटो युक्त प्राधिकार पत्र जारी किया जावेगा जिसके साथ उचित मूल्य दुकानदार का परिचय पत्र भी जारी किया जायेगा।

## सतर्कता समितियां

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था पर निगरानी हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार सतर्कता समितियों का गठन किया गया है–

### (अ) जिला स्तरीय सतर्कता समिति

जिला स्तरीय सतर्कता समिति में निम्न लिखित सदस्य होंगे :–

| | |
|---|---|
| 1. जिला कलक्टर | अध्यक्ष |
| 2. जिले के समस्त सांसद | सदस्य |
| 3. जिले के समस्त विधायक | सदस्य |
| 4. जिला प्रमुख | सदस्य |
| 5. जिले के समस्त प्रधान/पंचायत समिति | सदस्य |
| 6. जिले की समस्त नगर पालिकाओं/परिषदों/निगमों के अध्यक्ष | सदस्य |
| 7. उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार | सदस्य |
| 8. उपभोक्ता संगठनों के दो प्रतिनिधि (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत) | सदस्य |
| 9. जिला रसद अधिकारी | सदस्य सचिव |

इस समिति का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण जिला होगा।

(ब) तहसील स्तरीय सतर्कता समिति

| | |
|---|---|
| 1. उप खण्ड अधिकारी | अध्यक्ष |
| 2. प्रधान पंचायत समिति (उपखण्ड मुख्यालय वाली तहसीलों में अध्यक्ष सम्बन्धित उपखण्ड– अधिकारी होगें एवं तहसीलदार मात्र सदस्य होगें) | उपाध्यक्ष |
| 3. स्थानीय निकाय के दो सदस्य जिनका मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जावेंगा। | सदस्य |
| 4. पंचायत समिति के दो सदस्य, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जावेगा। | सदस्य |
| 5. स्थानीय विधायक | सदस्य |
| 6. विकास अधिकारी पंचायत समिति | सदस्य |
| 7. दो उपभोक्ता (मनोनयन द्वारा) | सदस्य |
| 8. सामाजिक/उपभोक्ता संगठन के दो सदस्य (मनोनयन द्वारा) | सदस्य |
| 9. सम्बन्धित प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक | सदस्य |

इस समिति का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण तहसील क्षेत्र होगा। मूल दिशा निर्देश के अनुसार उपखण्ड मुख्यालय पर स्थित तहसीलों एवं अन्य तहसीलों में क्रमांक 7 एवं 8 के सदस्यों का मनोनयन उपखण्ड अधिकारी द्वारा किये जाने का प्रावधान था, विभागीय संशोधन आदेश दिनांक 11.03.2016 द्वारा इनका मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जावेगा।

(स) उचित मूल्य दुकान सतर्कता समिति

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समिति का गठन किया जावेंगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

(1) शहरी क्षेत्र के लिये

| | |
|---|---|
| 1. वार्ड पार्षद | अध्यक्ष |
| 2. सामाजिक कार्यकर्ता (दो) | सदस्य |
| 3. उपभोक्ता (दो) | सदस्य |
| 4. सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारी (स्थानीय निवासी) | सदस्य |

मनोनयन जिला मुख्यालय पर जिला कलक्टर द्वारा एवं अन्य स्तर पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(2) ग्रामीण क्षेत्र के लिये

| | |
|---|---|
| 1. सरपंच | अध्यक्ष |
| 2. उपभोक्ता (एक) | सदस्य |
| 3. सम्बन्धित विद्यालय का प्रधानाध्यापक/अध्यापक | सदस्य |
| 4. सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारी (स्थानीय निवासी) | सदस्य |
| 5. उपभोक्ता/सामाजिक संगठन का कार्यकर्ता | सदस्य |
| 6. पंच (एक) | सदस्य |

मनोनयन सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

विभिन्न स्तर पर गठित की जाने वाली सतर्कता समितियों का कार्य एवं कार्यप्रणाली निम्नानुसार होगी:–

1. **उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समिति**

उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समितियों का मुख्य कार्य उचित मूल्य दुकान पर उपभोक्ताओं के लिए आवंटित आवश्यक नियंत्रित वस्तुओं की प्राप्ति एवं वितरण व्यवस्था, दुकान संचालन एवं वितरण पर निगरानी रखना होगा। समिति इस बात को सुनिश्चित करेगी कि उचित मूल्य की दुकान पर आवंटित की गई नियंत्रित वस्तुऐं आवंटनानुसार पहुंचती है एवं उनका नियमानुसार सही उपभोक्ता/लाभान्वित होने वाले उपभोक्ताओं को वितरण किया जाता है।

उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक अध्यक्ष द्वारा प्रत्येक माह में एक बार आवश्यक रूप से बुलाई जायेगी एवं बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार कर एक प्रति उच्च स्तर की सतर्कता समिति को प्रेषित किया जायेगा। सतर्कता समिति को आवंटित वस्तुओं की सूचना दिये जाने का दायित्व संबंधित जिला रसद अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार का होगा एवं उसका प्रचार–प्रसार भी किया जावेगा, जिसमें उचित मूल्य की दुकान, संबंधित ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर आवंटित वस्तुओं की पहुंच एवं कुल आवंटित मात्रा का अंकन किया जाना सम्मिलित है। उचित मूल्य की दुकान पर आवंटित वस्तुओं की आमद की सूचना दिये जाने के पश्चात् उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समिति के कम से कम दो सदस्यों द्वारा इन वस्तुओं की पहुंच का स्टॉक रजिस्टर में प्रमाणीकरण करने के पश्चात् ही वितरण प्रारम्भ किया जा सकेगा एवं उसकी यथासंभव देखरेख में ही उचित मूल्य की वस्तुओं का वितरण किया जायेगा एवं उपस्थित सदस्यों द्वारा यह भी प्रमाणित करना आवश्यक होगा कि उपभोक्ताओं को वस्तुओं का वितरण सही रूप से हुआ है।

उक्त सतर्कता समिति द्वारा की गई मीटिंगों के कार्यवाही विवरण हेतु एक रजिस्टर का संधारण किया जायेगा, जिसे किसी भी प्राधिकृत अधिकारी/जनप्रतिनिधि को निरीक्षण करने हेतु चाहने पर प्रस्तुत किया जा सकेगा। समिति यह सुनिश्चित करेगी कि नियंत्रित वस्तुओं के नमूने (सैम्पल) भी प्रत्येक दुकान पर रखे जायें।

संबंधित प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वह अपने क्षेत्र में स्थित सतर्कता समितियों की होने वाली बैठकों में आवश्यक रूप से भाग लें तथा सतर्कता समिति के सदस्यों को समिति के संचालन बाबत अधिक से अधिक जानकारी दें एवं उनके मार्फत इन दुकानों का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करें।

उक्त समिति के सदस्यों द्वारा जो शिकायतें जिला रसद अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार को प्रेषित की जायेगी, उनको एक रजिस्टर में अंकित किया जायेगा और उन पर की गई कार्यवाही से शिकायतकर्ता को अवगत कराया जायेगा। उचित मूल्य के दुकानदार को आगामी माह का कोटा तभी दिया जाये, जब पूर्व माह के कोटे की प्राप्ति एवं उचित वितरण का प्रमाणीकरण उक्त समिति के कम से कम दो सदस्यों द्वारा प्रदान कर दिया जाता है। समिति के सदस्यों को उचित मूल्य की दुकान के रिकार्ड अवलोकन का अधिकार होगा।

यदि सतर्कता समिति के किसी सदस्य के खिलाफ कोई सारगर्भित शिकायत प्राप्त होती है, तो बाद जांच मनोनयन हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कारणों का उल्लेख करते हुए जिला कलक्टर के अनुमोदन पश्चात् ऐसे सदस्य को हटाया जा सकेगा।

उक्त सतर्कता समिति के मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष होगा। समिति के गठन की सूचना आम जनता को कराई जाये।

**2. तहसील स्तरीय सतर्कता समिति**

तहसील स्तरीय सतर्कता समिति का मुख्य कार्य तहसील क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं का आवंटन/वितरण व्यवस्था पर नजर रखना एवं उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समितियों के कार्यो की समीक्षा करना होगा।

तहसील स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक अध्यक्ष की सहमति से नियत दिवस एवं समय पर सदस्य सचिव द्वारा प्रत्येक माह में एक बार आवश्यक रूप से बुलाई जायेगी। बैठक कार्यवाही विवरण जिला स्तरीय सतर्कता समिति को प्रेषित करना होगा।

**3. जिला स्तरीय सतर्कता समिति**

जिला स्तरीय सतर्कता समिति का मुख्य कार्य जिला स्तर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रभावी क्रियान्विति सुनिश्चित करना होगा। उक्त समिति की सहमति से नियत तिथि एवं समय पर सदस्य द्वारा दो माह में एक बार आवश्यक रूप से बुलाई जायेगी एवं कार्यवाही विवरण खाद्य आयुक्त को भेजा जायेगा।

उपरोक्त समस्त स्तरीय सतर्कता समितियों में सदस्यों का मनोनयन करते समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाऐं/पिछडा वर्ग आदि को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जायेगा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाए जाने के क्रम में विभाग द्वारा निम्नांकित कदम उठाए गए हैं :—

- उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु नवीन दिशा निर्देश दिनांक 17.03.2016 को जारी किये गये हैं।
- सम्पूर्ण राज्य में उपभोक्ता पखवाडा दिनांक 10.11.2014 से प्रत्येक माह की 10 तारीख से 24 तारीख तक रखा गया है। उचित मूल्य दुकानें पूरे माह खुली रहेगी तथा राशन सामग्री का वितरण किया जावेगा। उचित मूल्य दुकानों के खुली रहने के समय में एकरूपता की गई है:—

| माह | समय |
|---|---|
| उपभोक्ता पखवाडा प्रत्येक माह 10 से 24 तारीख तक | प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक (अपरान्ह 01 से 02 तक भोजन अवकाश) |
| 1 अप्रेल से 30 सितम्बर तक | प्रातः 8 से दोपहर 1 बजे तक |
| 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक | प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक |
| साप्ताहिक अवकाश का दिन निर्धारित करने के लिये जिला कलक्टर्स को अधिकृत किया गया है। उपभोक्ता पखवाडे की अवधि में कोई अवकाश नहीं रहेगा। | |

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण के तहत राज्य के उपभोक्ताओं को डिजिटाइज्ड राशनकार्ड उपलब्ध कराना तथा राज्य की उचित मूल्य दुकान पर पॉस मशीनों की स्थापना कर बायोमैट्रिक सत्यापन के उपरान्त राशन सामग्री का वितरण आरम्भ कर दिया गया है। राज्य में खाद्यान्न (गेहूं) का आवंटन ऑनलाईन किया जा रहा है।

## उपखण्ड अधिकारियों को खण्ड 8 व 9 के अधीन शक्तियॉं

विभाग द्वारा दिनांक 17.01.2012 को अधिसूचना जारी की जाकर जिला मुख्यालय पर पदस्थापित उपखण्ड अधिकारी के अलावा अन्य समस्त उपखण्ड अधिकारियों को अपने—अपने क्षेत्राधिकार में राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खण्ड 8 और 9 के अधीन शक्तियॉं प्रदत्त की गई है, जिसके तहत अपने क्षेत्र के अन्तर्गत अनियमितता पाए जाने पर उचित मूल्य दुकान के प्राधिकार पत्र को निलम्बित एवं निरस्त कर सकेंगे एवं विभागीय प्रकरण दर्ज कर सकेंगे। समस्त उपखण्ड अधिकारियों को उनके क्षेत्र में प्रत्येक माह 15 उचित मूल्य की दुकानों के मासिक निरीक्षण हेतु मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं। विभागीय परिपत्र दिनांक 23.12.2011 द्वारा उपखण्ड अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया है कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गेहूँ, केरोसीन एवं चीनी के अतिरिक्त गैर पीडीएस सामग्री पर भी निगरानी रखेंगे।

## ग्राम पंचायतों को अधिकार

विभागीय परिपत्र दिनांक 11.01.2012 द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाने हेतु प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त उचित मूल्य दुकानदार

अपने संबंधित ग्राम पंचायत की प्रत्येक माह की 5 तारीख को आयोजित बैठक में गत माह के दौरान उचित मूल्य दुकान में वितरण की गई सभी पीडीएस एवं गैर पीडीएस सामग्री के आवंटन, उठाव, वितरण एवं माह के अन्त में शेष सामग्री की मासिक सूचना सहित आवश्यक रूप से उपस्थित होंगे एवं ग्राम पंचायत को उपरोक्तानुसार समस्त जानकारी उपलब्ध कराने तथा वितरण व्यवस्था का सत्यापन सरपंच, ग्राम पंचायत से कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

## सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के अन्तर्गत विभाग द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी नियुक्ति बाबत निम्नानुसार आदेश प्रसारित किये हुए हैः–

| क्र.सं. | विभाग | राज्य लोक सूचना अधिकारी | प्रथम अपीलीय अधिकारी |
|---|---|---|---|
| 1. | खाद्य,नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान, जयपुर | 1.उपायुक्त (मुख्यालय) एवं शासन उप सचिव<br>2.उपायुक्त (प्रथम)<br>3.वित्तीय सलाहकार<br>4.उप विधि परामर्शी<br>5.सहायक निदेशक(सांख्यिकी)<br>6.जिला रसद अधिकारी(प्रोक्योरमेन्ट)<br>7.जिला रसद अधिकारी(सतर्कता)<br>4.सहायक आयुक्त (खाद्य)–<br>नोडल अधिकारी | प्रमुख शासन सचिव (खाद्य) |
| 2. | जिला स्तर पर | जिला रसद अधिकारी | जिला कलक्टर (रसद) |

# उपभोक्ता मामले विभाग

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम,1986 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य स्तर पर राज्य आयोग एवं जिला स्तर पर सभी जिलों में पूर्णकालिक जिला मंचों का गठन किया हुआ है। जयपुर जिले में 4 तथा जोधपुर जिले में 2 मंच कार्यरत है। उपभोक्ता आन्दोलन को गति प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किये गये हैं।

## राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एवं जिला मंचों का सुदृढ़ीकरण

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य स्तर पर राज्य आयोग एवं जिला स्तर पर सभी जिलों में पूर्णकालिक जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंचों का गठन किया हुआ है। जयपुर जिले में 04 तथा जोधपुर जिले में 02 मंच कार्यरत हैं। जिला मंचों में अध्यक्षों व सदस्यों के रिक्त पदों को भरे जाने के लिये 09 जिला मंच के अध्यक्षों एवं 17 विभिन्न जिला मंचों के सदस्यो के रिक्त पदों को भरा जाना प्रक्रियाधीन है।

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एवं जिला मंचों के सुदृढ़ीकरण के लिये 16.66 करोड़ रूपये के प्रस्ताव 12वें प्लान के अन्तर्गत भारत सरकार को भेजे गये थे। उक्त राशि से आयोग एवं जिला मंच, भूमि भवन, साधन–संसाधन की दृष्टि से आत्मनिर्भर एवं सुदृढ होंगे, जो उपभोक्ताओं को त्वरित न्याय प्रदान किये जाने में सहायक होंगे। केन्द्र सरकार द्वारा स्ट्रेन्थनिंग ऑफ कन्ज्यूमर फोरा स्कीम फेस–।। के अन्तर्गत राज्य में गठित राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एवं जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंचों के 10 भवनों के निर्माण हेतु राशि रूपये 930.92 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। भारत सरकार द्वारा प्रथम किश्त के रूप में राशि रूपये 3,71,74,000/– राज्य को प्राप्त हो चुकी हैं, जिसकी प्रशासनिक–वित्तीय स्वीकृति विभागीय स्तर से दिनांक 29.03.2016 को जारी की जा चुकी है। 12 जिला मँचों के भवन निर्माण (विस्तार) हेतु भारत सरकार द्वारा 139.29 लाख की स्वीकृति जारी की गई है, जिसमें से भारत सरकार द्वारा रूपये 64.00 लाख की राशि आवंटित की जा चुकी है। इसी प्रकार गैर भवन मद के अन्तर्गत 37 जिला मंचों के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गये थे, जिसकी स्वीकृति भारत सरकार द्वारा 304.30 लाख की राशि आवंटित की जा चुकी है। इनके संबंध में कार्यवाही प्रगति पर है।

सरकार तथा एन.आई.सी. कॉन्फोनेट योजनाओं के तहत राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग तथा सभी 37 जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंचों का कम्प्युटराइजेशन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप राज्य उपभोक्ता आयोग तथा जिला उपभोक्ता मंचों की दैनिक वाद सूची, लम्बित पत्रावलियों का स्टेटस, कॉन्फोनेट की वेबसाईट confonet.nic.in पर उपलब्ध करायी जा रही है तथा उक्त वेबसाइट पर निर्णय भी संकलित(अपलोड) किये जा रहे हैं।

वैकल्पिक परिवाद निवारण व्यवस्था के अन्तर्गत केलेण्डर वर्ष 2016 में राज्य आयोग एवं अधीनस्थ जिला मंचों में पृथक से 'उपभोक्ता लोक अदालतें' लगायी जाकर 808 परिवादों का निस्तारण किया गया।

त्वरित परिवाद निस्तारण को प्रोत्साहित करने के लिये माननीया मुख्यमंत्री महोदया की भावना के अनुरूप निर्णय लिया जाकर 24 दिसम्बर, 2016 (राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस) के अवसर पर सर्वाधिक परिवाद निस्तारित करने वाले 02 जिला मंचों के अध्यक्षों एवं दो सदस्यों का राज्य स्तर पर सम्मान किया गया है। निःसंदेह इससे अन्य जिला मंचों के अध्यक्ष एवं सदस्य भी प्रेरित होंगे।

**विधिक मापविज्ञान का क्रियान्वयन**

माननीया मुख्यमंत्री महोदया की वर्ष 2015–16 की बजट घोषणाओं के क्रम में विधिक मापविज्ञान विभाग को उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन कर दिया गया है तथा दिनांक 01.10.2016 से उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा भौतिक रूप से कार्यारम्भ भी कर दिया गया है।

निर्धारित शैक्षणिक अर्हता रखने वाले प्रशिक्षित पात्र प्रवर्तन अधिकारियों को कार्यकरण में समन्वय एवं विधिक मापविज्ञान अधिनियम के क्रियान्वयन के आलोक में पर्यवेक्षणीय व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी के साथ पदेन सहायक नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान का दायित्व दिया गया है।

उद्योग विभाग के प्रशिक्षित एवं निर्धारित शैक्षणिक अर्हता रखने वाले कार्यरत जिला उद्योग अधिकारियों को भी स्थायी–वैकल्पिक व्यवस्था होने तक उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन विधिक मापविज्ञान के क्रियान्वयन हेतु अधिकृत किया गया है तथा उन्हें भी सहायक नियंत्रक के रूप में अधिसूचित किया गया है।

**उपभोक्ता विषयक योजनाएँ प्रचार–प्रसार**

उपभोक्ता भवन हेतु भूमि का आवंटन एवं निर्माणः–उपभोक्ताओं की समस्याएँ एक छत की नीचे सुनी जाकर निराकरण करने के लिये 'उपभोक्ता भवन' निर्माण हेतु राज्य मुख्यालय पर माननीया मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा के क्रम में बंगला नम्बर–01–बी, हसनपुरा, जयपुर की संपूर्ण भूमि एवं बंगला नम्बन–01–ए के पीछे खाली पड़ी लगभग 600 वर्गमीटर भूमि का आवंटन कर दिया गया है। 'उपभोक्ता भवन' के नवीन भवन निर्माण हेतु राजस्थान स्टेट रोड़ डवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राजस्थान, जयपुर को निर्माण एजेन्सी के रूप में नियुक्त किया गया है। भवन निर्माण हेतु विभाग के स्तर पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई।

उपभोक्ता क्लबों को सक्रिय किया जानाः–राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्थापित 1000 उपभोक्ता क्लबों को सक्रिय किये जाने की कार्य–योजना दिनांक 12.03.2014 को विभाग के स्तर पर जारी की गयी थी। राजस्थान उपभोक्ता कल्याण कोष की बैठक दिनांक 04.08.2014 में सक्रिय उपभोक्ता क्लबों को राजस्थान उपभोक्ता कल्याण कोष से आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई थी। एक बारीय वित्तीय सहायता के पश्चात् उपभोक्ता क्लबों को अपने संसाधनों से संचालित किये जाने एवं आत्मनिर्भर बनाये जाने हेतु प्रेरित किया गया है। इसके भी सकारात्मक परिणाम मिले हैं। राज्य में संचालित उपभोक्ता क्लबों का डेटाबेस तैयार किया गया है। क्लब की गतिविधियों से उपभोक्ता आन्दोलन को नई दिशा मिली है।

## राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष

उपभोक्ता हितों के संरक्षण एवं संवर्धन तथा उपभोक्ता संरक्षण संबंधी कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य में उपभोक्ता कल्याण कोष स्थापित किया गया है। इस कोष में भारत सरकार द्वारा बीज राशि के रूप में 27.00 लाख रूपये का योगदान दिया गया तथा इतनी ही बीज राशि के रूप में (27.00 लाख) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है। कोष के संचालन हेतु राज्य में पृथक से राजस्थान उपभोक्ता कल्याण कोष नियम बनाये गये हैं। कोष की बैठक नियमित रूप से हो रही है।

## राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का पुनर्गठन एवं मनोनयन

राज्य स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के पुनर्गठन किये जाने की अधिसूचना दिनांक 04.01.2014 को जारी की जा चुकी है। राज्य परिषद् के पुनर्गठन के पश्चात् पहली बैठक दिनांक 06.08.2014 को आयोजित की जाकर उपभोक्ता के हितों में व्यापक निर्णय लिये गये हैं। राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् में गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन आदेश क्रमांक एफ 89(4)खा.वि./उ.सं./मनोनयन/2013 दिनांक 08.12.2016 को जारी किया जा चुका है।

## संभागीय उपभोक्ता जागृति सम्मेलनों का आयोजन

राज्य में पृथक से उपभोक्ता निदेशालय ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। विधिक मापविज्ञान के कार्य को उपभोक्ता निदेशालय में लिये जाने के फलस्वरूप विशेष गति प्रदान की गई है। उपभोक्ता आन्दोलन को गति प्रदान करने, स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों से सम्पर्क–समन्वय–संवाद स्थापित करने, उपभोक्ताओं से जुड़े विभागों को उपभोक्ताओं के प्रति सजग करने, विभागीय योजनाओं के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु राज्य में पहली बार संभागीय स्तर पर संभागीय उपभोक्ता जागृति सम्मेलन आयोजित किये गये। राज्य के 06 संभागों, यथा; जोधपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर व अजमेर को 70–70 हजार रूपये तथा जयपुर संभाग को 80 हजार रूपये तथा प्रचार सामग्री के मुद्रण के लिये 06 संभागों को 70–70 हजार रूपये तथा जयपुर संभाग को 80 हजार रूपये उपलब्ध कराये गये। ये जागृति सम्मेलन 24 दिसम्बर, 2016 से पूर्व आयोजित किये गये।

## उपभोक्ता हैल्पलाइन

राज्य में स्थापित राज्य स्तरीय उपभोक्ता हैल्पलाइन राज्य सरकार से अनुबंध के अन्तर्गत स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन 'कंज्यूमर्स एक्शन एण्ड नेटवर्क सोसायटी 'केन्स', जयपुर द्वारा संचालित की जा रही है। यह हैल्पलाइन त्वरित एवं वैकल्पिक विवाद प्रतितोष व्यवस्था के अन्तर्गत कारगर सिद्ध हुई है। हैल्पलाइन परामर्श एवं मार्गदर्शन का कार्य करती है। हैल्पलाइन का टोल फ्री नम्बर 1800 180 6030 है। राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन को ऑनलाइन किया गया है, जो www.consumeradvice.in पर उपलब्ध है। माह दिसम्बर, 2016 तक लगभग 35310 उपभोक्ताओं ने हैल्पलाइन से सलाह, मार्गदर्शन एवं प्रतितोष प्राप्त किया है।

**उपभोक्ता जागृति विषयक प्रचार–प्रसार**

इसके अन्तर्गत उपभोक्ता जागृति अभियान को जल स्वावलम्बन अभियान से जोड़ा जाकर विभिन्न माध्यमों से उपभोक्ता शिक्षा से जुडी मुद्रित सामग्री उपभोक्ताओं को वितरित की गई है। विभाग द्वारा हैल्पलाइन एवं अन्नपूर्णा भण्डार के प्रचार–प्रसार हेतु पेम्पलेट्स एवं "जागृत उपभोक्ता', सशक्त उपभोक्ता" विषयक पुस्तिका का भी प्रकाशन किया गया है। हैल्पलाइन के प्रचार–प्रसार के लिये ई–न्यूज लेटर का भी प्रकाशन विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया है। उपभोक्ता अधिकारों के प्रचार–प्रसार के लिये दूरदर्शन के माध्यम से विभाग द्वारा पांच विशेष ऐपिसोड्स का विशेष प्रसारण कराया गया है।

**राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का व्यापक आयोजन**

दिनांक 24 दिसम्बर, 2016 को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस राज्य स्तर पर एवं सभी जिलों में मनाया गया। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय लोकगीत एवं कविता प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, कठपुतली/नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह जयपुर में इन्दिरा गाँधी पंचायतीराज संस्थान में आयोजित किया गया। इस अवसर पर एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया।

# वास्तविक आय–व्यय एवं संशोधित प्रावधान

वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 की वास्तविक आय एवं व्यय तथा वर्ष 2015–16 के मूल बजट अनुमान एवं संशोधित बजट अनुमान तथा 2016–17 के मूल बजट अनुमान का विवरण **परिशिष्ट–"8"** पर संलग्न है।

कुल आय एवं व्यय का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

(राशि लाखों में)

| आय एवं व्यय का प्रकार | वास्तविक कुल आय एवं व्यय 2014–15 | वास्तविक कुल आय एवं व्यय 2015–16 | मूल बजट अनुमान 2015–16 | संशोधित बजट अनुमान 2015–16 | बजट अनुमान 2016–17 |
|---|---|---|---|---|---|
| विभागीय कार्यालय संचालन संबंधी विविध व्यय (आयोजना भिन्न मद) | 4061.53 | 4280.47 | 4672.63 | 4592.58 | 5067.08 |
| आयोजना भिन्न मद की योजनाओं के व्यय | 24.29 | 19.42 | 50.59 | 33.59 | 15.10 |
| आयोजना मद की योजनाओं के व्यय | 79309.28 | 27543.32 | 37741.66 | 27963.82 | 41407.73 |
| केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के व्यय | 518.51 | 11733.01 | 4449.80 | 11845.53 | 28067.76 |
| विभाग की विविध आय | 6280.29 | 6785.45 | 3262.96 | 6562.39 | 6935.26 |

**आयोजना भिन्न मद की योजनाऐं:–**

केरोसीन परिवहन समानीकरण योजना

**आयोजना मद की योजनाऐं:–**

अन्नपूर्णा योजना, राशन टिकट योजना, कुष्ठ रोग ग्रस्त/मुक्त लोगों की अन्न योजना, घरेलू गैस सिलेण्डर पर अनुदान, समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद पर बोनस भुगतान, कम्प्यूटराईजेशन एण्ड डिजिटाईजेशन ऑफ राशनकार्डस्, कम्प्यूटराईजेशन ऑफ टीपीडीएस, भार एवं माप, भार एवं माप का विनियमन।

**केन्द्र प्रवर्तित योजनाऐं:–**

उपभोक्ता मंचों का आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण, उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम, राज्य उपभोक्ता हैल्पलाईन की स्थापना, केरोसीन सब्सिडी का सीधा ट्रांसफर एवं कम्प्यूटराईजेशन ऑफ टीपीडीएस, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना।

विभाग की प्रशासनिक संरचना **परिशिष्ट–"9"** पर अंकित है।

# राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0

## 1. निगम की स्थापना

माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार की वर्ष 2010–11 की बजट घोषणा की क्रियान्विति के क्रम में राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी एवं सुदृढ बनाने हेतु राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 की दिनांक 08.12.2010 को स्थापना की गई थी।

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 का रजिस्ट्रेशन दिनांक 08.12.2010 को कंपनी एक्ट की धारा 617 के अन्तर्गत किया गया है तथा रजिस्ट्रार, कम्पनी मामले, राजस्थान जयपुर से दिनांक 27.12.2010 को निगम द्वारा व्यापार प्रारम्भ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया।

## 2. निगम की अंश पूंजी

निगम की अधिकृत अंश पूंजी 100 करोड रूपये है। वर्तमान में प्रदत्त अंश पूंजी 50 करोड रूपये है। 50 करोड रूपये के अंशों में से 49.93 करोड रूपये के अंश महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम हैं तथा शेष 7.00 लाख रूपये के अंश निगम के सात निदेशकों के नाम है।

## 3. निगम का संचालक मण्डल

| क्र.सं. | पद नाम | संचालक मण्डल में पद |
|---|---|---|
| 1. | प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग | अध्यक्ष |
| 2. | प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग | निदेशक |
| 3. | प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग | निदेशक |
| 4. | प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम | निदेशक |
| 5. | उप शासन सचिव, वित्त (व्यय–1) विभाग | निदेशक |
| 6. | रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ | निदेशक |
| 7. | प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. | निदेशक |

## 4. निगम के विगत चार वर्षो के वित्तीय परिणाम

(राशि लाखों में)

| क्र. सं. | विवरण | वर्ष 2012—13 | वर्ष 2013—14 | वर्ष 2014—15 | वर्ष 2015—16 (अनुमानित) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Profit before interest & Depreciation | 1369.96 | 944.25 | 1396.62 | 1600.16 |
| 2. | Less: interest | Nil | Nil | 688.15 | 634.00 |
| 3. | Operational Profit/Loss | 1369.96 | 944.25 | 708.47 | 966.16 |
| 4. | Less: Depreciation | 49.41 | 40.71 | 60.87 | 17.50 |
| 5. | Profit/Loss after interest & Depreciation | 1320.55 | 903.54 | 647.60 | 948.66 |
| 6. | Profit/Loss for appropriation | 861.29 | 504.63 | 515.02 | 572.95 |

## 5. निगम के कार्य एवं उददेश्य

5.1 निगम भारत सरकार द्वारा आवंटित खाद्यान्न का भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उठाव कर पूरे प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों पर आपूर्ति करेगा। निगम परिवहन व आपूर्ति हेतु आवश्यक निविदायें एवं ठेके आदि की कार्यवाही सम्पन्न करेगा।

5.2 राज्य के उपभोक्ताओं के उपयोग हेतु निगम गैर पी.डी.एस. सामग्री, बडे निर्माताओं (Manufacturers) से क्रय कर बाजार से सस्ते दामों पर उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध करायेगा।

5.3 चूंकि उचित मूल्य की दुकानों पर प्रभावी आपूर्ति एवं व्यवस्था बनाना निगम का दायित्व होगा, अतः निगम तहसील स्तर पर जहॉं केन्द्रीय भण्डारण निगम या राज्य भण्डारण निगम के गोदाम उपलब्ध नही है वहॉं राशन सामग्री के भण्डारण हेतु गोदाम आदि किराये पर लेने की व्यवस्था करेगा। लेकिन जहॉं पर राज्य भण्डारण निगम किराये पर गोदाम लेकर किराये पर उपलब्ध कराने की स्थिति में होगा, वहॉं पर निगम भण्डारण हेतु स्वयं गोदाम किराये पर नहीं लेगा।

5.4 निगम राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप कार्य करेगा।

5.5 बाजार में उपभोक्ता वस्तुओं जैसे दलहन, खाद्य—तेल, चीनी आदि के दाम बढने पर निगम बाजार में हस्तक्षेप कर इन उपभोक्ता वस्तुओं को उपलब्ध कराने का कार्य करेगा।

5.6 इसके साथ ही निगम उचित मूल्य की दुकानों पर राशन सामग्री के अतिरिक्त गैर पी.डी.एस. सामग्री जैसे आयोडाइज्ड नमक, चाय, वाशिंग सोप, पिसे हुए मसाले आदि भी उपलब्ध कराता है ताकि आम उपभोक्ताओं को रोजमर्रा की उपभोक्ता वस्तुएं प्रतिस्पर्द्धी कीमतों पर प्राप्त हो सके।

5.7 निगम राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों के अन्तर्गत अन्य कार्य भी करेगा।

## 6. निगम में स्वीकृत पदों की स्थिति

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, शासन सचिवालय राजस्थान सरकार, जयपुर के द्वारा दिनांक 24.11.2010 को निगम के त्रिस्तरीय प्रशासनिक ढांचे के लिए पदों एवं सेवाओं के सृजन की स्वीकृति जारी की गई। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के आदेश दिनांक 24.11.2010, 28.06.2011, 27.12.2012 एवं 04. 06.2013 के द्वारा निगम हेतु स्वीकृत/कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण निम्न प्रकार है :–

| क्र.सं. | कार्यालय स्तर | स्वीकृत | कार्यरत | रिक्त | रिक्तयों के कारण अस्थाई व्यवस्था के रूप में कार्यरत कार्मिक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | निगम कार्यालय (मुख्यालय) | 59 | 16 | 43 | 46 |
| 2. | जिला कार्यालय | 272 | 225 | 47 | – |
| 3 | तहसील स्तर | 488 | 123 | 365 | – |

## 7. निगम का थोक व्यापार

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न आपूर्ति हेतु निगम को राज्य सरकार द्वारा थोक विक्रेता घोषित किया गया है। निगम का तहसील स्तर पर कोई कार्यालय नही होने के कारण जिलों में तहसील स्तर पर पूर्व से ही कार्यरत थोक विकेता अर्थात् कय–विकय सहकारी समिति, सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार एवं राजस्थान जनजाति क्षेत्रिय सहकारी विकास संघ लि0 के द्वारा निगम के प्रतिनिधि के रूप में खाद्यान्न उठाव एवं आपूर्ति का कार्य किया जा रहा है परन्तु कोटा, बांरा एवं बून्दी (सम्पूर्ण जिला) व धौलपुर जिलें की पांच, चूरू जिले की दो, दौसा जिले की एक एवं बांसवाडा जिले की एक तहसील में पूर्व से कार्यरत थोक विक्रेता (सहकारी संस्थाओं) द्वारा कार्य नही करने के कारण निगम के प्रबन्धक नागरिक आपूर्ति के माध्यम से पीडीएस खाद्यान्न की एफपीएस पर आपूर्ति का कार्य किया जा रहा है। खाद्य विभाग द्वारा निगम को राज्य स्तरीय थोक विक्रेता नियुक्त कर नोडल एजेन्सी नामित किया गया है।

## 8. सार्वजनिक वितरण प्रणाली

### 8.1 गेहूं की आपूर्ति

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा आवंटित खाद्यान्न/चीनी का उठाव कर उचित मूल्य दुकानों पर आपूर्ति किये जाने हेतु राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 को सम्पूर्ण राज्य के लिए नोडल ऐजेन्सी नियुक्त किया हुआ है। खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत खाद्यान्न उठाव का कार्य माह अक्टूबर 2013 से प्रारम्भ हुआ है।

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 का सम्पूर्ण राज्य में आपूर्ति व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से बनाये रखने के दृष्टिकोण से खाद्य विभाग की पूर्व स्वीकृति के उपरान्त प्रदेश के सभी जिलों में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम,2012 एवं नियम,2013 के तहत परिवहनकर्ता नियुक्ति की कार्यवाही ई-निविदा के द्वारा की जा रही है।

### 8.2 चीनी आपूर्ति

1. पीडीएस के तहत 1 अप्रैल, 2012 से पूर्व चीनी की आपूर्ति राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, जयपुर के माध्यम से लेवी चीनी के रूप में की जाती थी। इसके अन्तर्गत चीनी का आवंटन सीधे भारत सरकार द्वारा खाद्य विभाग, राज्य सरकार को किया जाता था तथा खाद्य विभाग द्वारा राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि., जयपुर को किया जाता था। राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि., जयपुर भारत सरकार द्वारा आवंटित चीनी मिलो को डी.आई. जारी कर समिति/भण्डार को चीनी उपलब्ध करवाता था। समिति/भण्डार द्वारा आवंटित चीनी मिलों को राशि जमा करवाकर उचित मूल्य के दुकानदारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किये जाने हेतु चीनी आपूर्ति की जाती थी।

2. 01 अप्रैल, 2012 से राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, जयपुर द्वारा की जा रही लेवी चीनी आपूर्ति की व्यवस्था राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. जयपुर को हस्तान्तरित कर दी गई जो 31.05.2013 तक जारी रही।

3. केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 01.06.2013 से चीनी को लेवी से नियंत्रण मुक्त किया गया है। राज्यों को पारदर्शिता के साथ खुले बाजार से चीनी क्रय कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत लक्षित वर्ग को उपलब्ध करवाने के निर्देश जारी किये गये हैं। राज्य को प्रतिमाह 7342.00 मै. टन एवं वर्ष में एक बार त्यौहारी कोटा का 5092 मै. टन अतिरिक्त आवंटन प्राप्त होता है। इस प्रकार कुल वार्षिक आवंटन 93196 मै. टन प्राप्त होता है।

4. नई व्यवस्था के तहत चीनी के आवंटन एवं उठाव का विवरण:- अप्रैल,2016 से दिसम्बर,2016 तक कुल 71170.0 मै. टन चीनी के आवंटन के विरूद्ध दिसम्बर,,2016 तक की 71170.0 मै. टन चीनी की आपूर्ति हो चुकी है। अक्टूबर से दिसम्बर,2016 तक की चीनी का वितरण जारी है।

5. हनुमानगढ एवं श्रीगंगानगर जिले के लिए माह अक्टुबर, 2014 से चीनी की आपूर्ति राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल लि., श्रीगंगानगर से अनुमोदित न्यूनतम निविदादाता की दरों पर ही की जाती है।

6. चीनी का वितरण जून, 2016 तक 13.50 रूपये प्रति किलो की दर से किया गया जुलाई, 2016 से अक्टूबर, 2016 तक 20 रूपये प्रतिकिलो एवं नवम्बर,2016 तथा दिसम्बर, 2016 में उपभोक्ताओं को 25 रूपये प्रतिकिलों की दर से वितरण किया जा रहा है। इसकी आपूर्ति पर निम्नानुसार मार्जिन राशि देय है :—

| क्र.सं. | संस्था | विवरण | राशि (प्रति क्विं.) रू. |
|---|---|---|---|
| 1 | राज्य प्रतिनिधि (आपूर्ति निगम) | कमीशन | 40.27 |
| 2 | थोक विक्रेता (क्रय विक्रय सहकारी समिति) | कमीशन | 23.00 |
| 3 | खुदरा विक्रेता (उचित मूल्य दुकानदार) | कमीशन | 23.87 |
| 4 | डोर स्टेप डिलेवरी | परिवहन | 40.00 (औसतन) |

खुदरा परिवहन 40.00 रू. प्रति क्विं. (अधिकतम) देय होगा जो प्रति किमी की दर से निम्नानुसार आंकलित रहेगा :—

| क्र.सं. | प्रस्तावित दूरी | प्रस्तावित दर प्रति क्विं |
|---|---|---|
| 1 | 0 से 5 किमी तक | 14.30 रू. |
| 2 | 5 से 15 किमी तक | 8.75 रू. |
| 3 | 15 से 100 किमी तक | 0.28 रू. (प्रति क्विं प्रति किमी) |
| 4 | 100 किमी से अधिक | 0.21 रू. (प्रति क्विं प्रति किमी) |

7. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत चीनी कय पर 18.50 रुपये प्रति किलो की दर से भारत सरकर द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है। शेष राशि उपभोक्ता से वसूल की जाएगी।

## 9. गैर पी.डी.एस. वस्तुओं का विपणन कार्य

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणाओं के कियान्वयन हेतु नॉन पीडीएस सामग्री के अन्तर्गत विभिन्न सामग्री उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है। योजना के प्रथम चरण में गैर पीडीएस वस्तुओं – चाय, नमक तथा मसालों की आपूर्ति प्रारम्भ की गई तथा कालान्तर में इनमें अगरबत्ती, बिस्किट वाशिंग/ टॉयलेट साबुन, डिटरजेन्ट पाउडर का भी समावेश किया गया। राज्य सरकार के निर्देशानुसार निगम द्वारा उपभोक्ताओं को उचित दरों तथा उच्च गुणवत्ता में निर्बाध आपूर्ति हेतु गैर पीडीएस वस्तुओं–चाय, नमक, मसाले (लाल मिर्च, हल्दी तथा धनिया पाउडर), अगरबत्ती,

बिस्किट (बटर), वाशिंग/टॉयलेट साबुन तथा डिटरजेन्ट पाउडर के उत्पादनकर्ता/निर्माताओं एवं थोक विक्रेताओं से ई–निविदाऐं प्राप्त की गई। उपरोक्त नॉन पीडीएस सामग्री की निविदाओं हेतु निर्धारित आवश्यक औपचारिकताऐं पूर्ण करने के पश्चात् सम्बन्धित निविदादाताओ/फर्मों को कार्यादेश जारी किये गये।

निगम द्वारा अनुमोदित दरों में निगम के प्रशासनिक व्यय, उचित मूल्य के दुकानदारों के कमीशन आदि का समावेश करने के पश्चात् गैर–पीडीएस सामग्री की निम्नानुसार कीमते (MRP) निर्धारित की गई है :–

| क.सं | नॉन पीडीएस सामग्री का नाम | कीमत(MRP) रू. प्रति किलो | उपभोक्ता पैक कीमत |
|---|---|---|---|
| 1 | चाय | 168/– | 42/– प्रति 250 ग्राम |
| 2 | रिफाइन्ड आयोडाइज्ड नमक | 6/– | 6/– प्रति 1000 ग्राम |
| 3 | मसाले | | |
| | – लाल मिर्च पाउडर | 165/– | 33/– प्रति 200 ग्राम |
| | – हल्दी पाउडर | 145/– | 29/– प्रति 200 ग्राम |
| | – धनिया पाउडर | 130/– | 26/– प्रति 200 ग्राम |
| 4 | अगरबत्ती | 200/– | 10/– प्रति 50 ग्राम |
| 5 | बिस्किट (बटर) | 100/– | 5/– प्रति 50 ग्राम |
| 6 | वाशिंग साबुन | 50/– | 10/– प्रति 200 ग्राम |
| 7 | टॉयलेट साबुन | 100/– | 10/– प्रति 200 ग्राम |
| 8 | डिटरजेन्ट पाउडर | 42/– | 21/– प्रति 500 ग्राम |

**नॉन पीडीएस सामग्री आपूर्ति – अप्रेल, 2016 से दिसम्बर, 2016**

(मात्रा किलो में)

| क. सं. | सामग्री | अप्रेल, 2016 | मई, 2016 | जून, 2016 | जुलाई, 2016 | अगस्त, 2016 | सितम्बर, 2016 | अक्तूबर, 2016 | नवम्बर, 2016 | दिसम्बर, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | चाय | – | – | 70944 | 42897 | 58664 | 45888 | 37399 | 59000 | 43440 |
| 2 | नमक | – | 22000 | 477500 | 169000 | 227450 | 74500 | 163500 | 1041250 | 278000 |
| 3 | मसाले | – | – | – | – | – | – | – | 54700 | 79400 |
| 4 | अगरबत्ती | 20140 | 20000 | 11340 | 1520 | 8140 | 0 | | | |
| 5 | बिस्किट (बटर) | 3030 | 4630 | 2500 | 950 | 600 | 0 | | | |
| 6 | वाशिंग साबुन | 17250 | 36240 | 19900 | 16300 | 6700 | 0 | | | |
| 7 | टॉयलेट साबुन | 25000 | 13810 | 7770 | 7050 | 3554 | 0 | | | |

## 10. अन्नपूर्णा भण्डार योजना

जनसाधारण को उच्च गुणवत्ता की मल्टी ब्राण्ड उपभोक्ता वस्तुऐं प्रतिस्पर्धी दरों पर उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु अन्नपूर्णा भण्डार योजना लागू की गई है।

योजना क्या है:–

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सार्वजनिक–निजी सहभागिता के माध्यम से जनसाधारण को उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता की मल्टीब्रॉण्ड उपभोक्ता वस्तुएं उचित एवं प्रतिस्पर्धी दरों पर उपलब्ध कराने की एक योजना अवधारित की गई है। इस योजना को अन्नपूर्णा भण्डार योजना का नाम दिया गया है।

- अन्नपूर्णा भण्डार हेतु दुकान डीलर की स्वयं की हो, जिसका न्यूनतम क्षेत्रफल 10'X20' (200 वर्ग फीट) हो एवं दुकान कम से कम 30 फीट रोड़ पर खुलती हो।
- अन्नपूर्णा भण्डार योजना देश में सार्वजनिक एवं निजी सहभागिता के अन्तर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण की एक अनूठी योजना है।
- इसके अन्तर्गत उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता युक्त मल्टी ब्राण्ड उपभोक्ता वस्तुएं उचित एवं प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर प्राप्त हो रही है।
- आपूर्तिकर्ता द्वारा अपने स्तर से मोबाईल एप्प तैयार किया गया है जिसके द्वारा भण्डार संचालक अपने मोबाईल पर ऑर्डर, रि–ऑर्डर का सामान मंगवा सकते है।

योजना के लाभ एवं उपलब्धियां :–

- योजनार्न्तगत भण्डार संचालकों को उद्यमी के रूप में कार्य करने के फलस्वरूप आशातीत आय प्राप्त होने के साथ–साथ निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर अर्जित हुए है।
- योजनान्तर्गत कुल 5008 अन्नपूर्णा भण्डार संचालित किये जा रहे है जिसके अन्तर्गत लगभग 6000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध करवाया गया है।
- उत्पादों की एम.आर.पी. पर उचित मूल्य दुकानदारों को न्यूनतम 2 प्रतिशत से 30 प्रतिशत की अधिकतम छूट प्राप्त हो रही है तथा भण्डार संचालक को 40 प्रतिशत एवं उपभोक्ता को 60 प्रतिशत का लाभ प्राप्त हो रहा है।
- अन्नपूर्णा भण्डार संचालकों द्वारा आपूर्तिकर्ता को नगद भुगतान पर एक प्रतिशत कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है।
- अन्नपूर्णा भण्डार संचालकों को कारोबार हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों से मुद्रा लोन के रूप में 36 भण्डार धारकों को राशि 130.13 लाख राशि का ऋण उपलब्ध कराया जा चुका है तथा 130 ऋण प्रार्थना पत्र प्रकियाधीन है।

- इस योजना के तहत आधुनिक व्यापार पद्धतियों द्वारा उचित मूल्य के दुकानदारों की क्षमता एवं संभावनाओं का विकास किया गया हैं।
- योजना के अन्तर्गत जनसाधारण को उच्च गुणवत्तायुक्त मल्टी ब्राण्ड उपभोक्ता वस्तुएं उचित एवं प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर उपलब्ध हो रही है।
- अन्नपूर्णा भण्डार संचालकों को भण्डार उद्घाटन पर व्यय होने वाली राशि 5000/– रूपये का आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है।
- इसके अन्तर्गत उपभोक्ताओं को 45 तरह के लगभग 150 से अधिक प्रकार के उत्पाद जिनमें मुख्य रूप से खाद्य तेल, घी, दाले, अचार, गुड, बिस्किट, मसाले, सौन्दर्य, प्रसाधन, साबुन, डिटर्जेन्ट्स, शैम्पू, टूथपेस्ट, पेन, नोट बुक, बल्ब, माचिस, चप्पल, फिनायल, टॉयलेट क्लीनर्स इत्यादि की आपूर्ति की जा रही हैं।
- अन्नपूर्णा भण्डार योजना के प्रथम चरण में दिनांक 31.12.2016 तक 5008 उचित मूल्य दुकानदारों को अन्नपूर्णा भण्डार के रूप में परिवर्तित किया जा चुका है।
- आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा प्रत्येक अन्नपूर्णा भण्डार संचालक को चांदी के सिक्के का समारोह पूर्वक वितरण कराया जा रहा है। दिनांक 31.12.2016 तक 4012 सिक्कों का वितरण किया जा चुका है।
- भण्डार संचालकों द्वारा एक माह में एक लाख से अधिक खरीद पर 2000/– रूपये की अतिरिक्त छूट दी जा रही है।
- जिलों में डीलर्स का वाट्स एप्प ग्रुप बनाया जा रहा है।

कार्य–योजनाः–

- मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद के द्वारा योजना के द्वितीय चरण हेतु प्रदत्त सुझावों की कियान्विति हेतु राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक अन्नपूर्णा भण्डार स्थापना की जानी है। राज्य में लगभग 10,000 ग्राम पंचायतें है जिनमें अन्नपूर्णा भण्डार और खोले जाने है ताकि समस्त पंचायतें इस योजना से लाभान्वित हो सके।
- योजना में निरन्तरता, व्यवहार्यता तथा ग्रामीण युवाओं के लिये रोजगार के अवसर तैयार करने के लिये एक ही छत के नीचे अन्नपूर्णा भण्डार, उचित मूल्य दुकान, ई–मित्र, बिजनेस कोर्सपोण्डेंस को भी समाहित किया गया है और भण्डार संचालकों को मुद्रा लोन उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है।
- योजना के उचित कियान्वयन हेतु चयनित उचित मूल्य के दुकानदारों को मै. फ्यूचर कन्ज्यूमर एन्टरप्राइज लि. द्वारा आधुनिक खुदरा व्यापार प्रबन्धन में प्रशिक्षण दिलाया जाएगा।
- योजना के सम्बन्ध में जनसाधारण पर पड़ने वाले प्रभाव हेतु Social Audit करवाई जा रही है।

11. बजट घोषणा – वर्ष 2015–16

कुपोषण की प्रभावी रोकथाम के लिए **micro nutrient** यथा **Na(Sodium) Fe (Iron) EDTA (Ethylene Diamine Tetra Acetate Trihydrate), Folic Acid** व विटामिन बी 12 से **fortified** आटा, विटामिन ए व डी से **fortified** खाद्य तेल एवं आईरन तथा आयोडिन युक्त **double fortified** नमक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किया जायेगा

1. आयोडीन एवं आयरन युक्त डबल फोर्टीफाइड नमक **(DFS) :–**

राज्य में वर्तमान में Double Fortified Salt (DFS) का चुनिन्दा उत्पादकों द्वारा ही उत्पादन किया जा रहा है। निगम द्वारा सभी सम्बन्धित संगठनों, नमक उत्पादकों, एन.जी.ओ आदि के साथ मीटिंग आयोजित कर निविदा सूचना जारी की गई। राजस्थान के नमक उत्पादकों को डबल फोर्टिफाइड नमक निर्माण की प्रक्रिया आदि के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करने हेतु GAIN/IIHMR की सहभागिता से दिनांक 18.06.2015 को कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें विशेषज्ञों द्वारा राजस्थान के रिफाइन्ड नमक उत्पादकों को DFS की उत्पादन प्रकिया, तकनीकियों आदि के बारे में आवश्यक जानकारियां प्रदान की गई। डबल फोर्टिफाइड नमक की प्रोसेसिंग में रू. 5–6 प्रति किलों का अतिरिक्त व्यय होता है जिससे सामान्य आयोडाइज्ड की तुलना में इसकी कीमत रू. 5–6 प्रति किलो अधिक है।

निगम द्वारा DFS उत्पादकों के साथ चर्चा कर दिनांक 16.09.2015 को ई–निविदा सूचना जारी की गई निविदा के कम में 3 निविदाऐं प्राप्त हुई। मैं. श्री कैमफुड प्रा. लि, गांधीधाम (गुजरात) की दर रू. 12.87 प्रति किलो न्यूनतम (L1) पाई गई। विचार –विमर्श के दौरान निविदादाता द्वारा दर में 3 पैसे की कमी कर दी गई तथा इस प्रकार न्यूनतम दर रू. 12.84 प्रति किलो हो गई। इस दर में निगम के प्रशासनिक व्यय, उचित मूल्य दुकानदार का कमीशन आदि का समावेश करने पर आम जनता को रू. 15/– प्रति किलो की कीमत (MRP) निर्धारित की गई। **L-2** मैं टाटा कैमिक्लस लि. मुम्बई द्वारा भी उक्त दर पर डबल फोर्टिफाइड नमक आपूर्तिकरने हेतु सहमति व्यक्त किये जाने पर दिनांक 21.01.2016 को कार्यादेश जारी किये गये।

DFS की माह मई, 2016 से आपूर्ति प्रारम्भ हो गई। माह दिसम्बर, 2016 तक मात्र कुल 57.0 टन की आपूर्ति हो चुकी है। डबल फोर्टिफाइड नमक अपेक्षाकृत महंगा होने के कारण तथा इसके उपयोग से होने वाले फायदों से अनभिज्ञता एवं प्रचार–प्रसार के अभाव में उपभोक्ताओं द्वारा इसे क्रय करने में रुचि नहीं ली जा रही है। निगम द्वारा DFS के प्रचार–प्रसार हेतु सभी प्रबन्धक नागरिक आपूर्ति (MCS) को GAIN से प्राप्त राशि में से अनुमोदित डिजाइन के अनुसार पोस्टर/पैम्पलेटस का मुद्रण/वितरण करवाने हेतु निर्देशित किया गया है।

2. फोर्टिफाइड खाद्य तेलों **(Vitamin A & Vitamin D** युक्त**)** की आपूर्तिः

विटामिन 'ए' तथा 'डी' युक्त फोर्टीफाइड खाद्य तेलों की आपूर्ति हेतु राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा 2 बार निविदाऐं आमंत्रित की गई परन्तु कोई भी

फर्म उपस्थित नहीं हुई। निगम द्वारा पुनः दिनांक 27.01.2016 को जारी निविदा सूचना के क्रम में दिनांक 01.03.2016 को रिफाइन्ड सोयाबीन तेल हेतु एक मात्र बिड प्राप्त हुई थी जो कि तकनीकि मूल्यांकन में वैद्य नहीं पाई गई।

'गुजरात राज्य' की तर्ज पर वैकल्पिक कार्यवाही के क्रम में दिनांक 08.12.2015 तथा 28.01.2016 को खाद्य तेल मिलों तथा रिपैकर्स (Repackers) के साथ बैठक आयोजित की गई तथा एक अध्ययन दल द्वारा गुजरात राज्य के स्वैच्छिक फोर्टिफिकेशन के बारे में 03– 06 फरवरी, 2016 तक गुजरात सरकार के खाद्य निगम/खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ परिचर्चा कर फोर्टिफिकेशन की प्रक्रिया आदि की जानकारी प्राप्त की गई।

राज्य के खाद्य तेल मिलों/रिपैकर्स की दिनांक 24.02.2016 को कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें विषय–विशेषज्ञों द्वारा खाद्य तेलों को विटामिन 'ए' तथा 'डी' से फोर्टिफाइड करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया तथा तकनीकि पहलूओं आदि की जानकारी प्रदान की गई। राज्य में स्वैच्छिक फोर्टिफिकेशन हेतु एक अप्रेल 2016 की समय–सीमा निर्धारित की गई तथा 30 जून 2016 तक के Transition समय में पुराने पैकिंग सामग्री आदि के उपयोग हेतु निर्धारित किया गया।

स्वैच्छिक फोर्टिफिकेसन की समीक्षा हेतु दिनांक 12.05.2016 को तत्कालीन माननीय मंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलें विभाग, श्री हेम सिंह भडाना जी की अध्यक्षता में पुनः कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में फुड फोर्टिफिकेशन की पृथक वेबसाइट लॉंच की गई। तेल मिलों के प्रतिनिधियों को निर्धारित समय–सीमा में राज्य में फोर्टिफाइड खाद्य तेलों की आपूर्ति प्रारम्भ कर बजट घोषणा को पूरा करने में सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया गया।

राज्य में माह दिसम्बर, 2016 तक तक 191 मिलों द्वारा खाद्य तेलों का स्वैच्छिक फोर्टिफिकेशन प्रारम्भ किया जा चुका है तथा 131 मिलों द्वारा राज्य से बाहर तेल भेजा जा रहा है। इस आशय के उन्होंने शपथ–पत्र दिये है।

अन्नपूर्णा भण्डार योजना के अन्तर्गत चयनित उचित मूल्य की दुकानों पर फोर्टीफाइड खाद्य तेल की आपूर्ति की जा रही है।

## दिसम्बर 2016 को कार्यरत उचित मूल्य की दुकानों की जिलेवार स्थिति

| क्र. सं. | नाम जिला | उचित मूल्य दुकानों की श्रेणीनुसार स्थिति | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | शहरी | | ग्रामीण | | कुल | | |
| | | सहकारी | निजी | सहकारी | निजी | सहकारी | निजी | योग |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | अजमेर | 12 | 481 | 91 | 554 | **103** | **1035** | **1138** |
| 2 | अलवर | 19 | 152 | 83 | 843 | **102** | **995** | **1097** |
| 3 | बांसवाडा | 2 | 48 | 80 | 520 | **82** | **568** | **650** |
| 4 | बांरा | 7 | 59 | 19 | 450 | **26** | **509** | **535** |
| 5 | बाडमेर | 1 | 100 | 172 | 754 | **173** | **854** | **1027** |
| 6 | भरतपुर | 13 | 194 | 71 | 599 | **84** | **793** | **877** |
| 7 | भीलवाडा | 18 | 129 | 322 | 362 | **340** | **491** | **831** |
| 8 | बीकानेर | 22 | 353 | 64 | 511 | **86** | **864** | **950** |
| 9 | बून्दी | 4 | 99 | 38 | 269 | **42** | **368** | **410** |
| 10 | चित्तौडगढ | 6 | 96 | 93 | 437 | **99** | **533** | **632** |
| 11 | चूरू | 10 | 218 | 126 | 591 | **136** | **809** | **945** |
| 12 | दौसा | 1 | 66 | 81 | 584 | **82** | **650** | **732** |
| 13 | धौलपुर | 19 | 44 | 39 | 339 | **58** | **383** | **441** |
| 14 | डूँगरपुर | 3 | 52 | 109 | 382 | **112** | **434** | **546** |
| 15 | गंगानगर | 40 | 199 | 90 | 390 | **130** | **589** | **719** |
| 16 | हनुमानगढ | 8 | 194 | 31 | 424 | **39** | **618** | **657** |
| 17 | जयपुर | 15 | 745 | 130 | 951 | **145** | **1696** | **1841** |
| 18 | जैसलमेर | 8 | 27 | 29 | 270 | **37** | **297** | **334** |
| 19 | जालौर | 5 | 55 | 132 | 428 | **137** | **483** | **620** |
| 20 | झालावाड | 5 | 88 | 51 | 458 | **56** | **546** | **602** |
| 21 | झुन्झुनू | 5 | 144 | 67 | 551 | **72** | **695** | **767** |
| 22 | जौधपुर | 62 | 256 | 243 | 645 | **305** | **901** | **1206** |
| 23 | करोली | 6 | 73 | 84 | 390 | **90** | **463** | **553** |
| 24 | कोटा | 5 | 296 | 54 | 258 | **59** | **554** | **613** |
| 25 | नागौर | 8 | 211 | 88 | 941 | **96** | **1152** | **1248** |
| 26 | पाली | 7 | 155 | 188 | 436 | **195** | **591** | **786** |
| 27 | प्रतापगढ़ | 1 | 27 | 48 | 263 | **49** | **290** | **339** |
| 28 | राजसमन्द | 7 | 46 | 71 | 384 | **78** | **430** | **508** |
| 29 | सीकर | 2 | 240 | 72 | 582 | **74** | **822** | **896** |
| 30 | सिरोही | 5 | 67 | 62 | 280 | **67** | **347** | **414** |
| 31 | सवाई माधोपुर | 3 | 114 | 26 | 496 | **29** | **610** | **639** |
| 32 | टोंक | 0 | 109 | 43 | 403 | **43** | **512** | **555** |
| 33 | उदयपुर | 31 | 139 | 173 | 704 | **204** | **843** | **1047** |
| | योग | **360** | **5276** | **3070** | **16449** | **3430** | **21725** | **25155** |

परिशिष्ट–(2)

## राज्य को प्राप्त खाद्यान्न का पिछले पॉच वर्ष का मासिक आवंटन व उठाव

### 1. गेहूँ एपीएल

(मात्रा मै.टन में)

| क्र.सं. | वर्ष | आवंटन | उठाव | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010–11 | 772320 | 762178 | 98.69 |
| 2 | 2011–12 | 772320 | 733834 | 95.02 |
| 3 | 2012–13 | 772320 | 752748 | 97.47 |
| 4 | 2013–14 (अप्रेल,13 से सितम्बर,13) | 386160 | 375503 | 97.24 |

### 2. गेहूँ बीपीएल

(मात्रा मै.टन में)

| क्र.सं. | वर्ष | आवंटन | उठाव | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010–11 | 629532 | 627423 | 99.66 |
| 2 | 2011–12 | 629532 | 606949 | 96.41 |
| 3 | 2012–13 | 629532 | 621164 | 98.67 |
| 4 | 2013–14 (अप्रेल,13 से सितम्बर,13) | 314766 | 313893 | 99.72 |

### 3. गेहूँ अन्त्योदय अन्न योजना

(मात्रा मै.टन में)

| क्र.सं. | वर्ष | आवंटन | उठाव | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010–11 | 391488 | 383770 | 98.03 |
| 2 | 2011–12 | 391488 | 385041 | 98.35 |
| 3 | 2012–13 | 391488 | 383200 | 97.88 |
| 4 | 2013–14 (अप्रेल,13 से सितम्बर,13) | 195744 | 192469 | 98.33 |

### 4. गेहूँ अन्नपूर्णा योजना

(मात्रा मै.टन में)

| क्र.सं. | वर्ष | आवंटन | उठाव | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010–11 | 12635 | 11895 | 94.14 |
| 2 | 2011–12 | 10793 | 9475 | 87.78 |
| 3 | 2012–13 | 11818 | 9440 | 79.88 |
| 4 | 2013–14 (अप्रेल,13 से सितम्बर,13 | 63175.80 | 20163.78 | 31.92 |

5. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आवंटन–उठाव की सूचना

(मात्रा मै.टन में)

| क्र.सं. | माह | पात्र परिवार अन्त्योदय सहित | | |
|---|---|---|---|---|
| | | आवंटन | उठाव | प्रतिशत |
| 1 | अक्टूबर,13 से मार्च, 2014 | 1347905.00 | 1323859.00 | 98.21 |
| 2 | 2014–2015 | 2789423.00 | 2767955.00 | 99.23 |
| 3 | 2015–2016 | 2718793.00 | 2646014.00 | 97.32 |

## अप्रेल, 2016 से दिसम्बर, 2016

(मात्रा मै.टन में)

| क्र.सं. | माह | पात्र परिवार अन्त्योदय सहित | | |
|---|---|---|---|---|
| | | आवंटन | उठाव | प्रतिशत |
| 1 | अप्रेल, 2016 | 220500.00 | 208370.00 | 94.50 |
| 2 | मई, 2016 | 219520.00 | 206409.00 | 94.03 |
| 3 | जून, 2016 | 226641.00 | 220651.00 | 97.36 |
| 4 | जुलाई, 2016 | 223275.00 | 213919.00 | 95.81 |
| 5 | अगस्त, 2016 | 222278.00 | 211925.00 | 95.34 |
| 6 | सितम्बर, 2016 | 217769.00 | 202908.00 | 93.18 |
| 7 | अक्टूबर, 2016 | 217500.00 | 202369.00 | 93.04 |
| 8 | नवम्बर, 2016 | 215114.00 | 197597.00 | 91.86 |
| 9 | दिसम्बर, 2016 | 208605.00 | 184579.00 | 88.48 |
| | **योग** | **1971203.00** | **1848726.00** | **93.79** |

परिशिष्ट–(3)

*राजस्थान सरकार*

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांकःएफ 13(10)(5)खा.वि./खाद्यान्न/2013 जयपुर, दिनांक 25.07.2016

## अधिसूचना

## खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में निर्धारित मापदण्ड

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 10 के तहत प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु पात्र व्यक्तियों की पहचान के लिये राज्य सरकार द्वारा समावेशन (पात्र)–निष्कासन (पात्र नहीं) हेतु पूर्व में जारी अधिसूचना दिनांक 19.02.2016 को अधिक्रमित करते हुए समावेशन–निष्कासन संबंधी निम्नानुसार संशोधित मापदण्ड निर्धारित किये जाते हैः–

### समावेशन सूची

| | शहरी क्षेत्र | ग्रामीण क्षेत्र |
|---|---|---|
| क.सं. | समावेशन (Inclusion) प्राथमिकता श्रेणी | समावेशन (Inclusion) प्राथमिकता श्रेणी |
| 1 | अन्त्योदय परिवार | अन्त्योदय परिवार |
| 2 | बीपीएल परिवार | बीपीएल परिवार |
| 3 | स्टेट बीपीएल परिवार | स्टेट बीपीएल परिवार |
| 4 | अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी | अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी |
| 5 | ऐसे परिवार जो उपरोक्त योजनाओं में शामिल नहीं है तथा निम्न योजनाओं/वर्गों में शामिल हैं, उन्हें खाद्य सुरक्षा का लाभ उपलब्ध कराया जायेगाः–<br>A. मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना<br>B. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना<br>C. मुख्यमंत्री एकल नारी योजना<br>D. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना<br>E. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना<br>F. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना<br>G. मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास योजना<br>H. सहरिया एवं कथौडी जनजाति परिवार | .ऐसे परिवार जो उपरोक्त योजनाओं में शामिल नहीं है तथा निम्न योजनाओं/वर्गों में शामिल हैं, उन्हें खाद्य सुरक्षा का लाभ उपलब्ध कराया जायेगाः–<br>A. मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना<br>B. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना<br>C. मुख्यमंत्री एकल नारी योजना<br>D. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना<br>E. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना<br>F. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना<br>G. महानरेगा में 2009–10 से किसी भी वर्ष में 100 दिन मजदूरी करने वाला परिवार<br>H. मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास परिवार |

| | | |
|---|---|---|
| | I. कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मजदूर परिवार<br>J. वरिष्ठ नागरिक जिनका स्वतंत्र राशन कार्ड हो तथा आयु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पेंशन योजना के निर्धारित आयु सीमा में हो बशर्ते exclusion (पात्र नहीं) शर्तो में न आते हो। | योजना<br>I. सहरिया एवं कथौडी जनजाति परिवार<br>J. कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मजदूर परिवार<br>K. भूमिहीन कृषक<br>L. सीमान्त कृषक<br>M. वरिष्ठ नागरिक जिनका स्वतंत्र राशन कार्ड हो तथा आयु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पेंशन योजना के निर्धारित आयु सीमा में हो बशर्ते exclusion (पात्र नहीं) शर्तो में न आते हो। |
| 6 | मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष | मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष |
| 7 | समस्त सरकारी हॉस्टल में अन्तःवासी (समाज कल्याण, जनजाति विभाग, शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं सरकारी कॉलेज एवं स्कूलों के हॉस्टल) | समस्त सरकारी हॉस्टल में अन्तःवासी (समाज कल्याण, जनजाति विभाग, शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं सरकारी कॉलेज एवं स्कूलों के हॉस्टल) |
| 8 | एकल महिलाएँ | एकल महिलाएँ |
| 9 | श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक | श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक |
| 10 | पंजीकृत अनाथालय एवं वृद्धाश्रम एवं कुष्ठ आश्रम | पंजीकृत अनाथालय एवं वृद्धाश्रम एवं कुष्ठ आश्रम |
| 11 | कच्ची बस्ती में निवास करने वाले सर्वेक्षित परिवार | — |
| 12 | कचरा बीनने वाले परिवार | कचरा बीनने वाले परिवार |
| 13 | शहरी घरेलू कामकाजी महिलाएँ | — |
| 14 | गैर सरकारी सफाई कर्मी | — |
| 15 | स्ट्रीट वेण्डर | — |
| 16 | उत्तराखण्ड त्रासदी वाले परिवार | उत्तराखण्ड त्रासदी वाले परिवार |
| 17 | साईकिल रिक्शा चालक | साईकिल रिक्शा चालक |
| 18 | पोर्टर (कुली) | पोर्टर (कुली) |
| 19 | कुष्ठ रोगी एवं कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति | कुष्ठ रोगी एवं कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति |
| 20 | घुमन्तु व अर्द्धघुमन्तु जातियां जैसे वन बागरिया, गाडियालुहार, भेड पालक | घुमन्तु व अर्द्धघुमन्तु जातियां जैसे वन बागरिया, गाडियालुहार, भेड पालक |
| 21 | वनाधिकार पत्रधारी परम्परागत वनवासी | वनाधिकार पत्रधारी परम्परागत वनवासी |
| 22 | — | लघु कृषक |
| 23 | सहरिया जनजाति एवं कथौडी जनजाति के परिवार | सहरिया जनजाति एवं कथौडी जनजाति के परिवार |
| 24 | आस्था कार्डधारी परिवार | आस्था कार्डधारी परिवार |

## निष्कासन सूची

| शहरी क्षेत्र<br>निष्कासन (exclusion) श्रेणी<br>(पात्र नहीं) | ग्रामीण क्षेत्र<br>निष्कासन (exclusion) श्रेणी<br>(पात्र नहीं) |
|---|---|
| 1. ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य आयकरदाता हो।<br>2. ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य सरकारी/ अर्द्धसरकारी /स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी/ अधिकारी हो अथवा 1 लाख रूपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता हो।<br>3. ऐसे परिवार, जिसके किसी भी एक सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (एक वाणिज्यिक वाहन को छोडकर, जो कि जीविकोपार्जन के उपयोग में आता हो)।<br>4. नगर निगम/नगर परिषद क्षेत्र में 1000 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय/व्यवसायिक परिसरधारी परिवार (कच्ची बस्ती छोडकर)<br>5. नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय/व्यावसायिक परिसरधारी परिवार (कच्ची बस्ती को छोडकर)<br>6. एक लाख रूपये वार्षिक से अधिक आय सीमा वाले परिवार।<br>7. ऐसे परिवार, जिसके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक हो। | 1. ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य आयकरदाता हो।<br>2. ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य सरकारी/ अर्द्धसरकारी/ स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी/ अधिकारी हो अथवा 1 लाख रूपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता हो।<br>3. ऐसे परिवार, जिसके किसी भी एक सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रेक्टर एवं एक वाणिज्यिक वाहन को छोडकर, जो कि जीविकोपार्जन के उपयोग में आता हो)।<br>4. ऐसे परिवार, जिसके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक हो।<br>5. ऐसे परिवार, जिसके सभी सदस्यों की कुल आय एक लाख रूपये वार्षिक से अधिक हो।<br>6. **ऐसा परिवार जिसके पास ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग फीट से अधिक स्वयं के रिहायश हेतु निर्मित पक्का मकान हो।** |

नोटः–

1 समावेशन प्राथमिकता श्रेणी (क्रम संख्या 1–24 तक) के सभी चिन्हित लाभार्थी खाद्य सुरक्षा हेतु पात्र होंगे। निष्कासन के नियम सभी श्रेणियों पर समान रूप से लागू होंगे।

2 राज्य सरकार द्वारा इन पात्रता शर्तों में समय–समय पर परिवर्तन किया जा सकेगा।

3 आम–जन की जानकारी हेतु विभागीय वेबसाईट http://www.food.rajasthan.gov.in/ पर भी इसे अपलोड कर दिया गया है।

(राम निवास)

अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

## खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभार्थियों का जिलेवार विवरण(स्थिति दिसम्बर,2016)

| क्र.सं. | नाम जिला | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित (अन्त्योदय सहित) | |
|---|---|---|---|
| | | कुल पात्र परिवार | कुल पात्र लाभार्थी |
| 1 | अजमेर | 356646 | 1439254 |
| 2 | अलवर | 578962 | 2598974 |
| 3 | बांसवाडा | 394521 | 1770392 |
| 4 | बारां | 207970 | 871664 |
| 5 | बाडमेर | 412524 | 1915329 |
| 6 | भरतपुर | 321961 | 1518319 |
| 7 | भीलवाडा | 381444 | 1480052 |
| 8 | बीकानेर | 302966 | 1400022 |
| 9 | बूंदी | 151325 | 623484 |
| 10 | चित्तौडगढ | 300474 | 1132196 |
| 11 | चूरु | 301143 | 1381022 |
| 12 | दौसा | 253608 | 1103335 |
| 13 | धौलपुर | 161647 | 798774 |
| 14 | डूँगरपुर | 305745 | 1365908 |
| 15 | श्रीगंगानगर | 294814 | 1167984 |
| 16 | हनुमानगढ | 291520 | 1171159 |
| 17 | जयपुर | 685174 | 2848143 |
| 18 | जैसलमेर | 93716 | 424550 |
| 19 | जालौर | 252172 | 1233599 |
| 20 | झालावाड | 255850 | 1041708 |
| 21 | झूँझनूँ | 204605 | 886504 |
| 22 | जोधपुर | 482684 | 2221100 |
| 23 | करौली | 202332 | 970697 |
| 24 | कोटा | 260862 | 1056689 |
| 25 | नागौर | 487352 | 2144411 |
| 26 | पाली | 294004 | 1323208 |
| 27 | प्रतापगढ | 178910 | 722623 |
| 28 | राजसमन्द | 194078 | 810234 |
| 29 | सीकर | 409356 | 1773442 |
| 30 | सिरोही | 188458 | 850796 |
| 31 | सवाईमाधोपुर | 204229 | 845658 |
| 32 | टोंक | 210725 | 916521 |
| 33 | उदयपुर | 595616 | 2611028 |
| | योग | 10217393 | 44358779 |

परिशिष्ट–(5)

# राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारन्टी का अधिनियम के क्षेत्राधिकार में ली जाने वाली सेवाएं, अवधि एवं उनके लिए निर्धारित किये जाने वाले पदाभिहित अधिकारी/सहायक पदाभिहित अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी

विभाग का नाम – खाद्य,नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, राज. जयपुर।

| क्र. सं. | विभाग की गतिविधियां/सेवाएं जो प्रस्तावित अधिनियम की परिधि में ली जानी है। | सेवा प्रदान करने की समयावधि | पदाभिहित अधिकारी | सहायक पदाभिहित अधिकारी | प्रथम अपीलीय अधिकारी | द्वितीय अपीलीय अधिकारी | विशेष टिप्पणी, यदि कोई हो |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | नये राशनकार्ड बनाने हेतु | | | | | | |
| 1. | जिला मुख्यालय का नगरपालिका क्षेत्र | | जिला रसद अधिकारी | | | | |
| 2. | शेष नगरपालिका क्षेत्र में | आवेदन प्राप्ति से 7 दिवस | नगरपालिका बोर्ड का अधिशाषी अधिकारी/आयुक्त | — | जिला कलक्टर | प्रमुख शासन सचिव, खाद्य विभाग (मुख्यालय) | |
| 3. | ग्रामीण क्षेत्र के लिए | | विकास अधिकारी, संबंधित पंचायत समिति अधिकारी | | | | |
| 4. | राज्य सरकार द्वारा अधिकृत | | राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिकृत कोई भी अन्य अधिकारी | | | | |

## राज्य को प्राप्त लेवी चीनी का पिछले पाँच वर्ष का मासिक आवंटन व उठाव

(मात्रा मै.टन में)

| क्र.सं. | वर्ष | आवंटन | उठाव | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012–13 | 95683.50 | 88901.45 | 92.91 |
| 2 | 2013–14 | 92629.20 | 86534.80 | 93.42 |
| 3 | 2014–15 | 93196.00 | 93196.00 | 100.00 |
| 4 | 2015–16 | 93196.0. | 93196.00 | 100.00 |

## अप्रेल 2016 से दिसम्बर,2016(अनन्तिम) की अवधि में

(मात्रा मै.टन में)

| क्र.स. | माह | आवंटन | उठाव | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अप्रेल, 16 | 7342 | 7342 | 100.00 |
| 2 | मई, 16 | 7342 | 7342 | 100.00 |
| 3 | जून, 16 | 7342 | 7342 | 100.00 |
| 4 | जुलाई, 16 | 7342 | 7342 | 100.00 |
| 5 | अगस्त, 16 | 7342 | 7342 | 100.00 |
| 6 | सितम्बर, 16 | 7342 | 7342 | 100.00 |
| 7 | त्यौहारी कोटा,16 | 5092 | 5092 | 100.00 |
| 8 | अक्टूबर, 16 | 7342 | 7342 | 100.00 |
| 9 | नवम्बर, 16 | 7342 | 7342 | 100.00 |
| 10 | दिसम्बर, 16 | 7342 | 7342 | 100.00 |
| | योग :– | **71170** | 71170 | **100.00** |

परिशिष्ट–(7)

## राज्य को प्राप्त केरोसीन का पिछले पॉच वर्ष का मासिक आवंटन व उठाव

(मात्रा के.एल में)

| क्र.सं. | वर्ष | आवंटन | उठाव | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012–13 | 510312 | 500249 | 98.03 |
| 2 | 2013–14 | 508644 | 501723 | 98.64 |
| 3 | 2014–15 | 504960 | 498236 | 98.67 |
| 4 | 2015–16 | 495144 | 483755 | 97.70 |

## अप्रेल 2016से दिसम्बर 2016 की अवधि में

(मात्रा के.एल में)

| क्र.स. | माह | आवंटन | उठाव | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अप्रेल,16 | 39204 | 37961 | 96.83 |
| 2 | मई, 16 | 39204 | 38502 | 98.21 |
| 3 | जून, 16 | 39204 | 38457 | 98.09 |
| 4 | जुलाई, 16 | 37236 | 36140 | 97.06 |
| 5 | अगस्त, 16 | 37236 | 35864 | 96.32 |
| 6 | सितम्बर, 16 | 37236 | 35524 | 95.40 |
| 7 | अक्टूबर, 16 | 23676 | 22916 | 96.79 |
| 9 | नवम्बर, 16 | 23676 | 22676 | 95.78 |
| 10 | दिसम्बर, 16 | 23676 | 22412 | 94.66 |
| | योगः– | **300348** | **290452** | **96.70** |

# वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 का वास्तविक व्यय तथा वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 का बजट प्रावधान

(राशि लाखों में)

| वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 का वास्तविक व्यय तथा वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 का बजट प्रावधान (राशि लाखों में) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| व्यय बजट शीर्ष /उपशीर्ष | वास्तविक व्यय 2014–15 | वास्तविक व्यय 2015–16 | मूल प्रावधान 2015–16 | संशोधित प्रावधान 2015–16 | मूल बजट प्रावधान 2016–17 |
| मांग संख्या : 32 : 3456– सिविल आपूर्ति, 001–निदेशन एवं प्रशासन, (01) खाद्य आयुक्त के माध्यम द्वारा | | | | | |
| (01)– मुख्यालय कर्मचारी वर्ग (आयोजना भिन्न) | 391.89 | 426.37 | 472.14 | 455.17 | 519.92 |
| (02)– जिला कर्मचारी वर्ग (आयोजना भिन्न) | 1828.33 | 1976.83 | 2048.22 | 2087.07 | 2267.78 |
| (02)– प्रभृत व्यय (आयोजना भिन्न) | 0.00 | 4.02 | 0.01 | 4.02 | 0.01 |
| (03)– उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ (आयोजना भिन्न) | 1816.25 | 1846.69 | 2115.72 | 2018.11 | 2195.82 |
| (04)– उपभोक्ता मामलात निदेशालय (आयोजना भिन्न) | 16.01 | 16.60 | 16.54 | 17.85 | 25.22 |
| (06)– उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम (आयोजना भिन्न) | 9.05 | 9.96 | 20.00 | 10.00 | 10.00 |
| 3475– अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें, 106– भार एवं माप का विनियमन, (01) उपभोक्ता मामले विभाग, (01) मुख्यालय कर्मचारी वर्ग (आयोजना भिन्न) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 16.24 |
| (02)– संभाग (आयोजना भिन्न) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.13 |
| (03)– जिला कर्मचारी वर्ग (आयोजना भिन्न) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 31.96 |
| योग (दत्तमत) | **4061.53** | **4280.47** | **4672.63** | **4592.58** | **5067.08** |
| योग (प्रभृत) | **0.00** | 4.02 | 0.01 | 4.02 | 0.01 |
| आयोजना भिन्न मद की योजनाऐं:– | | | | | |
| 3456–सिविल आपूर्ति, 102– सिविल पूर्ति योजना, 01– खाद्यान्न सम्भरण (02) वितरण –12 सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| —"—"53 अन्तर राशि का भुगतान | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 3456–सिविल आपूर्ति, 102– सिविल पूर्ति योजना, (02) खाद्यान्न वितरण :– | | | | | |
| (01)–91 अन्त्योदय अन्न योजना | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| (02)–91 मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजनान्तर्गत बी.पी.एल. अन्न योजना | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| (03)–91 मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजनान्तर्गत स्टेट बीपीएल अन्न येाजना | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| (04)–91 फूड स्टेम्प योजना | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.01 | 0.01 |
| (05)–91 सहरिया–कथौडी अन्न योजना | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| (06)–91 एपीएल अन्न योजना | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 3456–00–102–03–चल प्रयोगशाला–00–28 विविध व्यय | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 3456–00–800–90–01–28 विविध व्यय | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 3456–102–02–09–49 केरोसीन समानीकरण राशि का भुगतान | 24.29 | 19.42 | 50.00 | 33.49 | 15.00 |
| योग (आयोजना भिन्न योजनाऐं) | **24.29** | **19.42** | **50.59** | **33.59** | **15.10** |
| महा योग (आयोजना भिन्न योजनाऐं) | **4085.82** | **4299.89** | **4723.22** | **4626.17** | **5082.18** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| आयोजना मद की योजनाऐं:– | | | | | |
| अन्नपूर्णा योजना :– | | | | | |
| 3456-102-(01)-[04]-12 | 0.50 | 0.38 | 0.01 | 1.25 | 0.01 |
| 3456-789-(01)-[01]-12 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.44 | 0.01 |
| 3456-796-(01)-[01]-12 | 0.73 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| योग (अन्नपूर्णा) | **1.23** | **0.38** | **0.03** | **1.69** | **0.03** |
| राशन टिकट योजना :– | | | | | |
| 3456-102-(01)-[07]-39 | 31.31 | 32.69 | 0.01 | 32.78 | 0.01 |
| 3456-789-(01)-[02]-39 | 6.73 | 12.71 | 0.01 | 13.09 | 0.01 |
| 3456-796-(01)-[02]-39 | 9.17 | 4.65 | 0.01 | 4.72 | 0.01 |
| योग (राशि टिकट योजना) | **47.21** | **50.05** | **0.03** | **50.59** | **0.03** |
| निःशक्तजन को अन्न येाजना | | | | | |
| 3456-102-(02)-[07]-91 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 3456-789-(01)-[05]-91 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 3456-796-(01)-[05]-91 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| योग (कुष्ठ रोग से मुक्त अन्न योजना) | **0.00** | **0.00** | **0.03** | **0.03** | **0.03** |
| घरेलू गैस सिलेण्डर पर सब्सिडी:– | | | | | |
| 3456-102-(04)-[00]-91 | 8490.41 | 1766.00 | 0.01 | 1766.00 | 0.01 |
| 3456-789-(01)-[04]-91 | 2250.00 | 467.00 | 0.01 | 467.00 | 0.01 |
| 3456-796-(01)-[04]-91 | 1750.00 | 364.31 | 0.01 | 364.31 | 0.01 |
| योग (घरेलू गैस पर सब्सिडी) | **12490.41** | **2597.31** | **0.03** | **2597.31** | **0.03** |
| समर्थन मूल्य पर गेंहू खरीद पर बोनस | | | | | |
| 3456-102-(01)-[02]-12 | 20682.89 | 532.50 | 0.01 | 532.50 | 0.01 |
| 3456-789-(01)-[07]-12 | 7200.00 | 141.00 | 0.01 | 141.00 | 0.01 |
| 3456-796-(01)-[07]-12 | 4500.00 | 109.50 | 0.01 | 109.50 | 0.01 |
| योग (गेंहू खरीद) | **32382.89** | **783.00** | **0.03** | **783.00** | **0.03** |
| नए राशन कार्डो का कम्प्यूटराईजेशन | | | | | |
| 3456-102-(01)-[08]-39 | 481.23 | 149.89 | 272.00 | 150.00 | 0.01 |
| 3456-789-(01)-[03]-39 | 81.90 | 10.53 | 72.00 | 11.00 | 0.01 |
| 3456-796-(01)-[03]-39 | 45.52 | 3.20 | 56.00 | 5.00 | 0.01 |
| योग (राशन कार्ड) | **608.65** | **163.62** | **400.00** | **166.00** | **0.03** |
| सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटराईजेशन | | | | | |
| 3456-102-(02)-[08]-62 | 4143.35 | 264.16 | 6020.00 | 356.92 | 286.00 |
| 3456-789-(01)-[06]-62 | 1035.43 | 56.86 | 1594.00 | 93.00 | 60.00 |
| 3456-796-(01)-[06]-62 | 811.83 | 38.06 | 1240.00 | 73.00 | 54.00 |
| योग (सा.वि.प्र.कम्प्यू.) | **5990.61** | **359.08** | **8854.00** | **522.92** | **400.00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3456-190-(01)-[00]-12 राज. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को सहायतार्थ अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 5475-190-(03)-[00]-73 रा.रा.ना.आ.नि.लि. में पूँजी विनियोजन | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 7475-190-(01)-[00]-00 रा.रा.ना.आ.नि.लि. को उधार | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना | | | | | |
| 3456-102-(07)-[01]-44 | 3306.99 | 2054.86 | 3259.00 | 2056.00 | 4627.92 |
| 3456-789-(03)-[02]-44 | 833.01 | 565.42 | 1018.00 | 568.00 | 1208.00 |
| 3456-796-(03)-[02]-44 | 697.07 | 514.62 | 815.00 | 515.00 | 879.00 |
| 3456-102-(07)-[02]-44 | 14113.85 | 12137.96 | 12608.00 | 12142.01 | 22598.04 |
| 3456-789-(03)-[03]-44 | 4307.47 | 4345.98 | 4096.00 | 4346.77 | 6103.23 |
| 3456-796-(03)-[03]-44 | 3358.35 | 3423.77 | 3277.00 | 3423.76 | 4457.74 |
| 3456-796-(03)-[02]-12 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 200.00 |
| 3456-001-(02)-(1&2)-44 | 94.16 | 244.63 | 2.94 | 284.90 | 113.41 |
| **योग (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना)** | **26710.90** | **23287.24** | **25075.95** | **23336.45** | **40187.34** |
| बीपीएल एव अन्त्योदय परिवारों को चीनी वितरण | | | | | |
| 3456-102-(02)-[10]-91 | 680.00 | 0.00 | 2040.00 | 0.01 | 0.01 |
| 3456-789-(01)-[09]-91 | 180.00 | 0.00 | 540.00 | 0.01 | 0.01 |
| 3456-796-(01)-[09]-91 | 140.00 | 0.00 | 420.00 | 0.01 | 0.01 |
| **योग (चीनी सब्सिडी)** | **1000.00** | **0.00** | **3000.00** | **0.03** | **0.03** |
| बीपीएल परिवारों को आटा वितरण | | | | | |
| 3456-102-(02)-[11]-91 | 54.58 | 10.82 | 0.01 | 26.16 | 0.01 |
| 3456-789-(01)-[10]-91 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 3456-796-(01)-[10]-91 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| **योग** | **54.58** | **10.82** | **0.03** | **26.18** | **0.03** |
| 5475–102–(10)–[00]–72 खाद्य विभाग का आधुनिकीकरण, सुदृढीकरण एव नवीनीकरण | 0.00 | 4.13 | 52.00 | 52.00 | 0.01 |
| अन्त्योदय अन्न योजना 3456–00–102–(02)–[01]–91 | 0.00 | 185.15 | 224.74 | 286.47 | 0.01 |
| उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ 3456–00–001–(01)–[03] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| उपभोक्ता मामले विभाग 3456–00–001–03 (01&02) | 18.93 | 69.84 | 110.75 | 81.62 | 168.31 |
| **योग** | **18.93** | **259.12** | **387.49** | **420.09** | **168.33** |
| 3456-001-(01)-[03]-28 उपभोक्ता मंचो का सुदृढीकरण | 0.00 | 1.05 | 1.22 | 1.22 | 8.00 |
| 5475-102-(09)-[00]-17 & 72 उपभोक्ता संरक्षण के तहत राज्य आयोग एवं जिला फोरमो का आधुनिकी, सुदृढी, नवीनी एवं उन्नयन व्यय (के.प्र.यो) | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 20.99 | 350.75 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3456-001-(0)-[06]-11 उपभोक्ता जागरूकता हेतु सहायता (के.प्र.यो) | 0.00 | 4.47 | 0.01 | 10.01 | 50.00 |
| 3456-001-(01)-[05] (05व 62) उपभेक्ता हेल्प लाईन की स्थापना | 3.87 | 27.18 | 22.73 | 27.25 | 30.01 |
| कैरोसीन सब्सिडी का सीधे ट्रांसफर 3456—(102—06—01),789—02—01),(796—02—01) —91 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 5475—00—102—11—01—(17&18)— भार एवं माप | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 3475—00—106—01—01 (18&20&41)— भार एवं माप का विनियमन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.00 |
| योग | 3.87 | 32.70 | 24.01 | 59.50 | 651.79 |
| महा योग (आयोजना मद की योजनाएँ) | **79309.28** | **27543.32** | **37741.66** | **27963.82** | **41407.73** |
| केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं :— | | | | | |
| 3456-001-(01)-[03]-28 उपभोक्ता मंचो का सुदृढीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 5475-102-(09)-[00]-17 & 72 उपभोक्ता संरक्षण के तहत राज्य आयोग एवं जिला फोरमो का आधुनिकी, सुदृढी, नवीनी एवं उन्नयन व्यय (के.प्र.यो) | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 20.99 | 350.75 |
| 3456-001-(0)-[06]-11 उपभोक्ता जागरूकता हेतु सहायता (के.प्र.यो) | 0.00 | 4.47 | 0.01 | 10.01 | 50.00 |
| 3456-001-(01)-[05] (05व 62) उपभेक्ता हेल्प लाईन की स्थापना | 3.87 | 27.18 | 22.73 | 27.25 | 30.01 |
| कैरोसीन सब्सिडी का सीधे ट्रांसफर 3456—(102—06—01),789—02—01),(796—02—01) —91 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटराईजेशन | | | | | |
| 3456-00-(102-(02)-[08]) & (789-(01)-[06]) &(796-(01)-[06])- 62 | 514.64 | 179.54 | 4427.00 | 261.46 | 200.00 |
| राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना | | | | | |
| 3456-00-(102-(07)-[01]) & (789-(03)-[02]) &(796-(03)-[02])- 44<br>3456-00-(102-(07)-[02]) & (789-(03)-[03]) &(796-(03)-[03])- 44 | 0.00 | 11521.82 | 0.00 | 11525.78 | 27436.96 |
| योग (केन्द्र प्रवर्तित योजना) | **518.51** | **11733.01** | **4449.80** | **11845.53** | **28067.76** |

## बजट मद 1475—00—800 के अन्तर्गत वास्तविक आय की सूचना

(राशि लाखों में)

| बजट मद | वास्तविक आय 2014—15 | वास्तविक आय 2015—16 | मूल प्रावधान 2015—16 | संशोधित प्रावधान 2015—16 | मूल प्रावधान 2016—17 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें, 00—800—अन्य प्राप्तियां** | | | | | |
| 01-नगरीय रसद विभागों से प्राप्तियां | 34.66 | 53.41 | 15.00 | 127.74 | 133.90 |
| 02- विभिन्न लाईसेन्सिग आदेशों के तहत प्राप्तियां | 16.55 | 55.56 | 10.00 | 1.22 | 1.46 |
| 03- सीमेन्ट आपूर्ति एवं वितरण से प्राप्तियां | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| **04-अन्य विविध प्राप्तियां** | | | | | |
| (01) विविध | 63.30 | 168.43 | 25.00 | 118.48 | 132.59 |
| (02) खाद्य विभाग के माध्यम से | 1867.15 | 1286.90 | 1400.00 | 1913.19 | 2133.16 |
| (05) परिवहन समानीकरण से प्राप्तियां | 1312.06 | 1824.82 | 1200.00 | 1380.00 | 1480.00 |
| **(06) अन्तर राशि की प्राप्तियां** | | | | | |
| (01) खाद्यान्न की अन्तर राशि | 26.41 | 31.69 | 0.10 | 25.00 | 25.00 |
| (02) केरोसीन की अन्तर राशि | 2957.63 | 3362.46 | 600.00 | 2982.97 | 3015.25 |
| (07) उपभोक्ता संरक्षण में परिवाद फाईल करने हेतु फीस | 0.45 | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| **(50) अनुपयोगी सामानों/वाहनों के निस्तारण से प्राप्तियां** | | | | | |
| (01) अनुपयोगी सामान के निस्तारण से प्राप्तियां | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 1.29 | 0.01 |
| (02) अनुपयोगी वाहन के निस्तारण से प्राप्तियां | 1.59 | 1.22 | 0.30 | 0.07 | 0.30 |
| **(51)- लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम के तहत प्राप्तियां** (01) दोषी कर्मचारी/अधिकारी से वसूली/प्राप्ति | 0.48 | 0.26 | 0.20 | 0.25 | 0.25 |
| **1475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें, —00—106—00—00** | | | | | |
| –बांटो और मापों के मुद्रांकन के लिए शुल्क | 0.00 | 0.00 | 1155.00 | 1167.00 | 1283.00 |
| **योग** | **6280.29** | **6785.45** | **4406.41** | **7717.72** | **8205.43** |

परिशिष्ट—(9)

# खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग
## प्रशासनिक संरचना
### राज्य स्तर

मंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग
प्रमुख शासन सचिव एवं पदेन आयुक्त
(1)
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त एवं पदेन निदेशक, उपभोक्ता मामले
(1)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| उपायुक्त एवं पदेन उप शासन सचिव (2) | सहायक आयुक्त (1) | सहायक निदेशक (सांख्यिकी) (1) | उप विधि परामर्शी (1) | वित्तीय सलाहकार (1) |
| सूचना एवं जन संपर्क अधिकारी (1) | जिला रसद अधिकारी (सतर्कता)/(उपभोक्ता मामले)/(प्रोक्योरमेन्ट) (1) | | लेखाधिकारी (1) | सहायक लेखाधिकारी (1) |
| कार्यालय अधीक्षक एवं सहायक प्रशासनिक अधिकारी (1) | प्रवर्तन अधिकारी (2) | | | प्रवर्तन निरीक्षक (2) |

### संभाग स्तर

संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी (संभाग मुख्यालय)
(7)

जिला रसद अधिकारी—सतर्कता (संभागीय आयुक्त कार्यालय)
(4—जयपुर,जोधपुर,बीकानेर,अजमेर)

### जिला स्तर

जिला कलक्टर्स रसद (33)

| | | |
|---|---|---|
| जिला रसद अधिकारी (26) | जिला रसद अधिकारी (प्रथम/द्वितीय) संभाग जिला मुख्यालय (7+7) | जिला रसद अधिकारी (रिट्स) संभाग जिला मुख्यालय जयपुर एवं जोधपुर (2) |

प्रवर्तन अधिकारी (103)

प्रवर्तन निरीक्षक (313)

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन एवं क्रियान्वयन
- न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों की खरीद
- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का क्रियान्वयन
- उपभोक्ता संरक्षण हेतु प्रभावी प्रयास

हैल्प लाइन – 1800 180 6030 (टोल फ्री)

मुद्रक : राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर